

जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी)  
की  
स्थापना

## जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्थापना

### 1. पृष्ठभूमि

वर्ष 1999–2000 में राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान से जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसीएस) की स्थापना की गई थी। जबकि राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को/डीआरसी ने 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को तकनीकी इनपुट और निधियों के माध्यम स्थापना में सहायता प्रदान की, राज्य सरकारों ने बाधामुक्त भवन उपलब्ध कराए और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम के माध्यम से गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया और राज्य की योजनाओं के साथ इसकी गतिविधियों के अभिसरण में सहायता की। उस समय इन केन्द्रों को तीन वर्षों के बाद जिला प्रशासन को सौंपने की योजना बनाई गई थी, लेकिन राज्य अपने संसाधनों से वित्तपोषण की पूर्ति करने के कारण इन्हें अपनाने के इच्छुक नहीं थे, इस योजना के वित्त पोषण को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)/दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया था। 2018–19 से, योजना का वित्तपोषण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) के अंतर्गत था। यह एक प्रमुख (अम्ब्रेला) योजना है जिसके अंतर्गत कार्यकलापों में सहायता के लिए स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित राज्य सरकारों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीआरसी दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत 2020–21 से वित्त पोषित है, जिसके तहत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों में सहायता करने के लिए स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित, राज्य सरकारों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न अन्य निकायों को अनुदान जारी किए जाते हैं।

### 2. डीडीआरसी की स्थापना के उद्देश्य:

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) की स्थापना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को निम्नलिखित के माध्यम से पुनर्वासीय सहायता उपलब्ध कराना है –

- i. शिविरों के आयोजन के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान करना, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, बस के पासों की सुविधा और अन्य रियायतें/सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए जिले में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना।
- ii. दिव्यांगता की रोकथाम को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन, प्रारम्भिक पहचान और उपचार के साथ-साथ जिले आदि में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संगठनों के डाटा का रख-रखाव।
- iii. प्रारम्भिक उपचार और राष्ट्रीय न्यास/दिव्यांगजन विभाग द्वारा शुभारम्भ की गई बीमा योजना की सुविधा।

- iv. सहायक उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमेंट, सहायक उपकरणों की जांच/मरम्मत, जिले में सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एडिप/एलिम्को के शिविरों के आयोजन में सहायता करना।
- v. चिकित्सकीय सेवाएं अर्थात् फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, वाक् थेरेपी आदि।
- vi. शल्य चिकित्सा सुधार के लिए सरकारी और धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से परामर्श और व्यवस्था,
- vii. बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था,
- viii. दिव्यांगजनों, उनके माता-पिता और पारिवारिक सदस्यों को परामर्श देना,
- ix. बाधामुक्त वातावरण को बढ़ावा देना और विभाग के सुगम्य भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाना,
- x. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायक और मानार्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, विभाग की योजनाओं से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए दिव्यांग छात्रों की सहायता करना, पात्र दिव्यांगजनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण एवं दिव्यांगजनों को निम्नलिखित के माध्यम से रोजगार:-
  - शिक्षक, समुदाय और परिवारों को ओरियंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए दिव्यांगजनों को प्रारम्भिक प्रेरणा और प्रारम्भिक प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण देना।
  - स्थानीय संसाधनों और डिजायनिंग को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रिक्तियों की पहचान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उपयुक्त रिक्तियों की पहचान करना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाया जा सके।
- xi. मौजूदा शैक्षणिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक संस्थानों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय संस्थानों एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए आउटरीच केन्द्र के रूप में कार्य करना।

### 3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगताएं

पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित दिव्यांगताओं की सूची अनुबंध-1 पर है। दिव्यांगताओं की प्रतिशतता को निर्धारित करने संबंधी दिशा-निर्देश इस विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के पेशेवरों को शामिल करके डीडीआरसी के तहत सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को कवर किया जाएगा।

डीडीआरसी योजना में राज्य सरकारों के सहयोग से प्रत्येक जिले में एक डीडीआरसी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, भारत सरकार को वित्तीय स्थिति और उपयुक्तता के आधार पर नए डीडीआरसी को अनुमोदित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। प्रत्येक डीडीआरसी यदि उस जिले में

डीडीआरसी नहीं है तो आस-पास के/पड़ोसी जिले के दिव्यांगजनों की देखभाल कर सकता है और उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर सकता है।

#### 4. डीडीआरसी के गठन के लिए प्रक्रिया:

##### 4.1 जिला प्रबंधन टीम का गठन (डीएमटी)

जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम की निगरानी में प्रत्येक डीडीआरसी को चलाया जाना है और बेहतर समन्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों, कार्यान्वित एजेंसी के नोडल अधिकारी और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों/सार्वजनिक प्रतिनिधियों को भी शामिल करना है। राज्य सरकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमटी का संविधान अधिसूचित कर सकती है। यह टीम डीडीआरसी की संपत्ति का संरक्षक भी होगी।

##### 4.2 डीएमटी के महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:-

- स्वास्थ्य विभाग के डीईआईसी और/या जिला मेडिकल कॉलेज/अस्पताल के समीप स्थान पर डीडीआरसी के स्थान का चयन
- पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन।
- श्रमशक्ति का चयन/तैनाती और उनकी नियुक्ति की शर्तों को अन्तिम रूप देना।
- डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग, समन्वय।
- दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित जिलों में अन्य गतिविधियों के साथ अभिसरण।
- डीडीआरसी की सम्पत्ति और विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई सामग्री की सुरक्षा, यदि कोई है।
- जिला प्रबंधन टीम, महीने में एक बार और साल में कम से कम चार बार बैठक कर सकती है।

##### 4.3 समन्वय – नोडल अधिकारी (डीडीआरओ)

- डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग और समन्वयन के लिए डीएमटी में शामिल किए गए जिला कर्मचारियों में से अच्छे समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी अर्थात् जिला दिव्यांगता पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ) की पहचान की जाए।
- डीडीआरओ दैनिक आधार पर डीडीआरसी के समन्वय, प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसे प्रतिमाह 2000/-रूपए की दर से मानदेय दिया जायेगा (विशेष क्षेत्रों के लिए 20 % अतिरिक्त मानदेय)।
- डीएमटी द्वारा डीडीआरसी चलाने के लिए उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान:

क. कार्यान्वयन एजेंसी में इन्हें प्रमुखता देनी चाहिए:

i. डीएमटी डीडीआरसी के संचालन का विकल्प चुन सकता है।

अथवा

ii. राज्य सरकार का कोई स्वायत्त/अर्ध स्वायत्त निकाय

अथवा

iii. अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाला प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जो डीडीआरसी के आरम्भ होने से लेकर उसके प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए।

ख. डीएमटी स्थानीय प्रचार के माध्यम से इच्छुक पंजीकृत संगठनों से प्रस्ताव मांग सकती है और तत्पश्चात् उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त संगठन की पहचान कर सकती है।

ग. मौजूदा तंत्र के अलावा, राज्य शाखाओं के लिए मौजूदा कानून के तहत प्रत्येक जिले में प्रभावी ढंग से डीडीआरसी (कार्यान्वयन एजेसी के रूप में) चलाने के लिए एक राज्य स्तरीय निकाय/सोसायटी स्थापित करने हेतु विचार कर सकती है।

#### 4.4 डीडीआरसी के लिए आवास

- जिला प्राधिकरण को डीडीआरसी स्थापित करने के लिए किराया मुक्त आवास की पहचान और आवंटन करना चाहिए। इस बात को प्रमुखता दी जाए कि भवन बाधामुक्त हो, बिजली और पानी की सुविधा होने के साथ-साथ उसमें दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए सुगम्य हो। डीडीआरसी को दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अधिमानतः डीईआईसी केंद्र/मेडिकल कॉलेज/जिला(सिविल) अस्पताल के उसी परिसर अथवा उसके समीप होना चाहिए। लगभग 400 वर्ग मीटर न्यूनतम स्थान की आवश्यकता है जिसमें कम से कम 7-8 कमरे होने चाहिए। तथापि, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार की स्क्रीनिंग समिति मामले दर मामला इन मानदंडों में छूट दे सकती है।
- किराया मुक्त भवन की अनुपलब्धता के मामले में, डीएम/जिला कलेक्टर/पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उपयुक्त परिसर किराये पर लिया जा सकता है। परिसर के रख-रखाव का शुल्क (किराये पर अथवा अन्यथा) अनुदान के आकस्मिक खर्च शीर्ष के तहत निर्धारित राशि से पूरा किया जाएगा।

#### 4.5 डीडीआरसी के लिए स्टाफ:

- डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्टाफ को संविदा पर नियुक्त करना। प्रत्येक डीडीआरसी के स्टाफ में विशिष्ट योग्यता रखने वाले अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार नियत मानदेय दिया जाएगा। पुनर्वास पेशेवर जिनके पास नोडल पंजीकरण एजेंसी के रूप में आरसीआई है, उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद (आसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। योजना में स्थायी पदों के सृजन की परिकल्पना नहीं है। तथापि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एसएसजेई, भारत सरकार किसी भी भर्ती, नियुक्ति, मानदेय और निष्कासन संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये डीएमटी की एकल जिम्मेदारी होगी। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जहां तक सम्भव है, कार्यान्वयन एजेंसी/डीएमटी द्वारा मानदेय/संविदागत आधार पर स्टाफ को नियुक्त किया जाना है।
- राज्य सरकार डीडीआरसी की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए मानदेय और अन्य आवश्यकताओं की उपयुक्त पूरक हो सकती है। राज्य सरकार को डीएमटी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक निदेश और दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि डीडीआरसी स्वीकृत होने के तुरन्त बाद कार्मिकों को नियुक्त किया जा सके।

#### 4.6 स्वीकार्य श्रमशक्ति, मानदेय की राशि और स्वीकार्य अनुदान।

- प्रत्येक डीडीआरसी में संविदा आधार पर नियत मानदेय और पूर्व निर्धारित योग्यताओं वाली निम्नलिखित श्रम शक्ति को नियुक्त किया जाना है। पुनर्वास पेशेवर जिनके पास नोडल पंजीकरण एजेंसी के रूप में आरसीआई है, उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद (आसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। डीडीआरसी के स्टाफ की सेवा-शर्तों का उत्तरदायित्व कार्यान्वयन एजेंसी पर होगा न कि केन्द्रीय सरकार पर।
- पेशेवरों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार प्राप्त दौरे के आधार पर की जा सकती है लेकिन कम से कम 4 पेशेवरों/पुनर्वासकर्ताओं की नियुक्ति अनिवार्य है।
- पेशेवरों के लिए अपेक्षित पद और योग्यताएं इस प्रकार हैं—

क्र.सं.	पद और योग्यताएं	मानदेय (रूपये में)	नीचे दिए गए नोट के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/राज्यों में डीडीआरसी के लिए मानदेय की 20% उच्चतर राशि
1	<u>क्लीनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक</u> क्लीनिकल मनोचिकित्सक क. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम0फिल0 ख. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में	20500/850(प्रति दौरा)	24600/ 1020(प्रति दौरा)

	<p>व्यावसायिक डिप्लोमा।  <b>पुनर्वास मनोचिकित्सक</b>  क. पुनर्वास मनोचिकित्सा में  एम0फिल0  ख. पुनर्वास मनोचिकित्सा में  पोस्ट ग्रेजुएट  डिप्लोमा(पीजीडीआरपी)</p>		
2	<p><b>वरिष्ठ</b>  <b>फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल</b>  <b>थेरेपिस्ट</b>  फिजियोथेरेपिस्ट 01 अनिवार्य  योग्यता बीपीटी</p> <p><b>ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 01 अनिवार्य</b>  योग्यता बीओटी</p> <p><b>औचित्य - पीटी और ओटी दोनों</b>  पूरी तरह से अलग-अलग विषय  हैं और दिव्यांगता पुनर्वास में  दोनों की बहुत महत्वपूर्ण और  अलग-अलग भूमिकाएं हैं।</p>	20500/850(प्रति दौरा)	24600/1020(प्रति दौरा)
3	<p><b>सीनियर प्रोस्थेटिस्ट /</b>  <b>ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)</b></p> <p>योग्यता: आरसीआई द्वारा  मान्यता प्राप्त किसी भी  संस्थान से प्रोस्थेटिक्स  और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)  में स्नातक</p>	20500/850(प्रति दौरा)	24600/1020(प्रति दौरा)
4	<p><b>प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट तकनीशियन</b>  पात्रता: पी एंड ओ में डिप्लोमा या 3  साल के अनुभव के साथ पी एंड ओ  में प्रमाण पत्र</p>	14500	17400
5	<p><b>ऑडियोलाजिस्ट और सीनियर</b>  <b>स्पीच थेरेपिस्ट</b>  पात्रता: ऑडियोलॉजी और स्पीच  एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी</p>	20500/850 ( प्रति दौरा)	24600/1020 (प्रति दौरा)

	(बीएएसएलपी) में स्नातक या बी.एससी स्पीच एंड हियरिंग		
6	<p><b>श्रवण सहायक / जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट –</b></p> <p>श्रवण यंत्रों की जानकारी / मरम्मत / ईयर मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा</p> <p><b>स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन</b></p> <p>पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस)</p> <p><b>ईयर.मोल्ड तकनीशियन</b></p> <p>पात्रता हियरिंग एयड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)</p>	14500	17400
7.	<p><b>गतिशीलता प्रशिक्षक</b></p> <p>दसवीं+गतिशीलता में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा</p> <p>पात्रता : अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एससी.) या दृष्टि बाधिता में डी.एड.विशेष शिक्षा / बी.एड. विशेष शिक्षा</p>	14500	17400
8.	<p><b>बहु उद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता</b></p> <p>पात्रता : समुदाय आधारित पुनर्वास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीसीबीआर) / समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर) / समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा</p>	14500	17400

9.	<u>लेखाकार सह लिपिक सह भण्डारी</u> दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0काम0 / एसएसएस)	14500	17400
10	<u>सहायक सह चपरासी सह</u> <u>संदेशवाहक</u> (8वीं कक्षा उत्तीर्ण)	9500	11400
11	<u>व्यावसायिक परामर्शदाता सह</u> <u>कम्प्यूटर सहायक</u> पात्रता : व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) / बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी) / पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)	14500	17400
12	<u>प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट</u>  पात्रता: पीजीडीडीटी / पीजीडीईआई / बीएमआर / बीआरएससी / बीआरटी / एमआरएससी / एमएससीई-आई	14500	17400
13	<u>ट्रांस-डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक</u> <u>(02 संख्या)</u>  दोनों पदों के लिए पात्रता: (1) श्रवण बाधिता में डीईडीएसई / बीईडीएसई (2) वीआई/आईडी/सीपी/एसडी/एम डी/डीबी/एसएलडी में डीईडीएसई / बीईडीएसई	14500	17400
14	<u>केयर गिवर</u>  पात्रता: सीसीसीजी/आरसीआई-सी सीसीजी/राष्ट्रीय न्यास या कक्षा VIII उत्तीर्ण जिसमें दिव्यांगजनों की देखभाल में 3 साल का अनुभव हो।	6250	7500

**नोट:**

- (क) पूर्वोत्तर – राज्यों, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, साथ ही देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे किसी भी राज्य के जिले देश के शेष डीडीआरसी के संबंध में निर्धारित मानदेय से 20% से अधिक के हकदार होंगे ।
- (ख) चिन्हित जिलों में डीडीआरसी को स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जहां प्रारम्भिक रूप में अनुकूल योग्यता वाले स्टाफ का मिलना मुश्किल हो सकता है । यदि योग्य पुनर्वास पेशेवर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है तब तक डीएमटी कम योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है, जब तक कि ऐसे पेशेवर उपलब्ध न हो जाए । तथापि, तकनीकी श्रमशक्ति के स्थान पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए ।
- (ग) डीडीआरओ/नोडल अधिकारी (डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए डीएमटी में शामिल जिला कार्मिकों में से एक) को मानदेय के रूप में 2,000/-रुपए प्रति माह दिए जाएंगे । (विशेष क्षेत्रों के लिए 20% अतिरिक्त मानदेय) ।

**5. स्वीकार्य सहायता अनुदान**

डीडीआरएस के अंतर्गत एक डीडीआरसी के आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय का ब्यौरा (ब्रेकअप) निम्नानुसार है:—(रुपये लाख में)

मद	प्रतिवर्ष सहायता अनुदान	विशेष राज्यों/क्षेत्रों के लिए . 20% अतिरिक्त
कुल मानदेय	27.630	33.156
कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	05.250	05.250
उपकरण (प्रथम वर्ष अथवा 5 वर्षों के बाद)	20.000	20.000
<b>प्रथम वर्ष का योग</b>	<b>52.880</b>	<b>58.406</b>

नोट— दूसरे वर्ष से केवल मानदेय और कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय उसी दर से प्रदान किए जाएंगे।

**5.1 योजना के तहत वित्त पोषण की व्यवस्था**

डीडीआरसी को डीडीआरएस के तहत वित्त पोषित किया जाएगा । जब तक ई-अनुदान पोर्टल पर डीडीआरसी के संबंध में एक अलग व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक ऑफलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत/स्वीकार किए जा सकते हैं। डीडीआरसी को अग्रिम सह प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता अनुदान जारी किया जाएगा ।

### नए प्रस्तावों के लिए:

- डीडीआरसी का नया प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- स्क्रीनिंग समिति सभी नए प्रस्तावों की जांच करेगी।
- स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बाद, कार्यक्रम प्रभाग वर्ष के लिए डीडीआरसी द्वारा प्रस्तुत अनुमानों (मानदंडों के अनुसार) के 50% (आवर्ती और गैर आवर्ती) तक अग्रिम राशि जारी कर सकता है। हालांकि, रिलीज तंत्र सीएनए निर्देशों का पालन करेगा, यानी 25% प्रारंभिक रिलीज और उसके बाद संतोषजनक चेकलिस्ट दस्तावेजों और जीएफआर आवश्यकता के साथ 75% उपयोग प्रमाण पत्र के होने पर हर बार 25% रिलीज।
- शेष स्वीकार्य अनुदान संपरीक्षित लेखों और उपयोग प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने पर जारी किया जा सकता है।

### चालू प्रस्तावों के लिए:

- डीडीआरसी को जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की सिफारिश के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
- कार्यक्रम प्रभाग वर्ष के लिए 75% लागत (मानदंडों के अनुसार) तक अग्रिम राशि जारी कर सकता है। हालांकि, रिलीज तंत्र सीएनए निर्देशों का पालन करेगा, यानी 25% प्रारंभिक रिलीज और उसके बाद संतोषजनक चेकलिस्ट दस्तावेजों और जीएफआर आवश्यकता के साथ 75% उपयोग प्रमाण पत्र पर हर बार 25% रिलीज।
- शेष स्वीकार्य अनुदान राज्य की सिफारिश के साथ संपरीक्षित लेखा और उपयोग प्रमाण पत्र आदि के प्राप्त होने पर जारी किया जा सकता है।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूरा होने पर सहायता अनुदान का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश के साथ भेजा जाए जिसे आगे चलकर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ अपनी सिफारिश के साथ इस विभाग को प्रस्तुत किया जाए। अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चेकलिस्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं – डीएम/राज्य सरकार की सिफारिश
- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पीडब्ल्यूडी/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र
- संस्था बहिर्नियम
- डीडीआरसी/कार्यान्वयन एजेंसी की निरीक्षण रिपोर्ट
- कार्यान्वयन एजेंसियों की जिला प्रबंधन टीम/प्रबंध समिति का विवरण
- योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कर्मचारियों का विवरण

- डीडीआरसी/कार्यान्वयन एजेंसी के लेखापरीक्षित खाते, कार्यान्वयन एजेंसी के समेकित लेखापरीक्षित खाते, डीडीआरसी के लेखापरीक्षित मद-वार/पद-वार व्यय विवरण
- डीडीआरसी/कार्यान्वयन एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट/निष्पादन रिपोर्ट
- पूर्व में जारी अनुदान सहायता का उपयोग प्रमाण पत्र
- बैंक का विवरण, बांड आदि।

## 5.2 वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मापदण्ड

- समस्त केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सभी लेन-देन/भुगतान लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- योजना के तहत सहायता अनुदान की मांग करने वाली डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वयं को नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ-दर्पण पोर्टल) पर पंजीकृत कराना आवश्यक है और योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले एनजीओ – दर्पण का विशिष्ट आईडी प्राप्त करना आवश्यक है।
- मौजूदा दिशा-निर्देश/ प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, अन्य कोई दिशा-निर्देश, निर्देश, स्पष्टीकरण अथवा सरलीकरण जोड़ना अथवा हटाना, जिसे बाद में जारी किये जा सकते हैं जो विभाग द्वारा विभाग के सचिव के अनुमोदन से योजना में शामिल किये जाएंगे।

## 5.3 डीडीआरसी द्वारा वित्तीय व्यवस्था का पालन किया जाना

### 5.3.1 डीडीआरसी द्वारा परियोजना खातों का रख-रखाव

डीडीआरसी के स्टाफ सदस्यों के मानदेय का वित्तपोषण और आवश्यक उपकरण केवल डीडीआरसी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि एडिप योजना के तहत निर्माण के लिए सामग्री, सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है अतः अलग खातों का रख-रखाव किया जाए और संबंधित प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाए।

### 5.3.2 डीडीआरसी के नाम से बैंक खाता खोलना:

डीडीआरसी के नाम से एसबीआई में एक नया जीरो बैलेंस सव्बिडियरी खाता खोला जाना चाहिए और अनुदान प्राप्त करने और व्यय की पूर्ति करने के लिए डीएमटी से जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा इस खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय डीएमटी द्वारा डीडीआरसी के लिए पहचान की गई कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर लिया जा सकता है। इस जीरो बैलेंस सव्बिडियरी खाते को डीडीआरसी योजना के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (एनएचएफडीसी) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

### 5.3.3 खाते का रख-रखाव

डीडीआरओ के समग्र मार्गदर्शन और निरीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक कार्यान्वित एजेंसी द्वारा सहायक गतिविधियों के खर्च के लिए उपयुक्त खाता रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त खाता चलाने के लिए पहले से ही अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी अपने प्रत्येक डीडीआरसी के लिए अलग खाते का रख-रखाव करेगी। प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी विभाग को कार्यक्रम की गतिविधियों के संबंध में छमाही खाते प्रस्तुत करेंगे।

5.3.4 डीडीआरसी योजना के अंतर्गत परियोजना के संबंध में ई-अनुदान पोर्टल पर अलग से प्रावधान किए जाने तक सहायता अनुदान के लिए प्रस्ताव ऑफलाइन प्रस्तुत/स्वीकार किया जाएगा।

## 6. मानदंडों में छूट देने की शक्ति

विभाग को अधिकतम मानदंडों से नीचे के मानदंड अपनाने का अधिकार सुरक्षित है जहां ऐसा करने का औचित्य है। इन मानदंडों पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से, सामान्य रूप से, असाधारण और पात्र मामलों में और विशेष रूप से, सिविकम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों के मामले में छूट देने के लिए भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते विभाग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उचित और वैध आधार हैं। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

## 7. प्रमुख स्टैकहोल्डरों की भूमिका

### 7.1 राज्य सरकार की भूमिका

- i. राज्य सरकारों से डीडीआरसी के प्रभावी काम-काज के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। राज्य /जिला प्रशासन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार डीडीआरसी की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए डीडीआरसी के मानदेय और अन्य जरूरतों की उपयुक्त पूरक हो सकती है।
- ii. राज्य सरकारें जिला कलेक्टरों को डीडीआरसी योजना के व्यापक नियमों के अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, डीडीआरसी के प्रभावी कामकाज और उसमें मामूली संशोधन करने के लिए डीएमटी के अध्यक्ष की हैसियत के रूप में प्राधिकृत कर सकती है।

- iii. राज्य सरकार जिला कलेक्टरों को केन्द्रीय निधि के जारी करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के परिणामस्वरूप क्षेत्र में होने वाली कठिनाइयों पर काबू करने के लिए उनके अधीन निपटान हेतु प्रस्तुत स्थानीय निधियों से अंतरिम सहायता देने हेतु उन्हें प्राधिकृत कर सकती है।
- iv. मौजूदा तन्त्र के अतिरिक्त, राज्य सरकार मौजूदा कानून के तहत प्रभावी ढंग से डीडीआरसी (कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में) को चलाने के लिए प्रत्येक जिले में शाखाएं खोलने हेतु एक राज्य स्तरीय निकाय/सोसायटी स्थापित करने पर भी विचार कर सकती है।

## 7.2 एलिम्को और विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका—उपकरण/श्रमशक्ति का प्रशिक्षण

### 5.3.5 कार्यात्मक डीडीआरसी के लिए अपेक्षित उपकरण

सभी प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित सहायक उपकरणों के निर्माण और फिटमेंट के लिए उपकरणों को योजना के उपकरण शीर्ष के अंतर्गत दिए गए अनुसार खरीदा जाना है। इन उपकरणों की श्रेणी में बिजली का ओवन, ऐन्विल वर्कशॉप, फिजियोथेरेपी उपकरण, क्लीनिकल आडियोमीटर, वाक प्रशिक्षक, कार्यशाला उपकरण और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, यूडीआईडी परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ कार्यालय उपकरण होंगे। केवल प्रथम वर्ष में प्रति डीडीआरसी के लिए 20 लाख रूपए तक का कुल उपकरण अनुदान होगा और 5 वर्ष के बाद आगे संशोधन, यदि कोई हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। उपकरणों के ब्यौरे अनुबंध—V पर सूचीबद्ध है।

ये उपकरण विभाग के अंतर्गत – एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम – भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) लखनऊ रोड, कानपुर से खरीदे जा सकते हैं। यदि एलिम्को इन उपकरणों की आपूर्ति/उपलब्धता कराने की स्थिति में नहीं है तो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीएमटी की निगरानी में इन उपकरणों की खरीद की जा सकती है।

### 5.3.6 दिव्यांगजनों के लिए – निर्धारित उपकरणों के साथ-साथ सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए कच्चा माल

विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों और यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।

डीडीआरसी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र, व्यय की लेखा परीक्षित विवरणिका, लाभार्थियों की सूची, खरीदे गए अथवा दिव्यांगजनों में वितरित किए गए

सहायक यंत्रों और उपकरणों का विवरण एवं इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से गतिविधियों के कैलेंडर सहित वार्षिक रूप से प्रस्ताव जमा कराने चाहिए ।

सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की मरम्मत/अनुवर्ती कार्रवाई डीडीआरसी द्वारा की जानी है। यदि किसी सहायता/प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो इसे एलिम्को/एनआई द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

### 7.3 राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों की भूमिका (उनको आवंटित राज्यों के अनुसार)

(क) राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण/डीडीआरसी के समन्वय के साथ डीडीआरसी की श्रमशक्ति, दिव्यांगता से संबंधित कार्य से जुड़े राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण।

(ख) राष्ट्रीय संस्थानों को पाठ्यक्रम माड्यूल सहित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना है और उसे अनुमोदन के लिए विभाग में जमा कराना है ।

(ग) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसी के स्टाफ को राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए ओरियंटेशन और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि गतिविधियों को अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके ।

(घ) राष्ट्रीय संस्थान राज्य/जिला/डीडीआरसी प्राधिकरण के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करेंगे:—

i. जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला –

दिव्यांगता मामलों के प्रति संवेदीकरण, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, डीडीआरसी योजना और उनके माध्यम से प्रभावी प्रतिपादन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

ii. कार्यान्वयन एजेंसी और समाज कल्याण अधिकारियों के नोडल अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण –

डीडीआरसी योजना, एडिप, डीडीआरएस के अंतर्गत प्रस्तावों को आगे बढ़ाना, खातों और अन्य अभिलेखों का रख-रखाव, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, रियायतें और योजनाएं एवं महत्वपूर्ण रेफरल पते ।

iii. डीडीआरसी में तकनीकी और व्यावसायिक श्रमशक्ति के लिए 15 दिनों तक सेवाकालीन प्रशिक्षण –

विशेष रूप से प्रारम्भिक उपचार और फोलो अप, उपचार और पुनर्वास की नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ।

iv. सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए विशेष पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम जिनमें डीडीआरसी की कम अर्हता प्राप्त श्रमशक्ति के लिए 6 माह से 01 वर्ष के सैंडविच कार्यक्रमों सहित सेतु पाठ्यक्रम:-

- सम्प्रेषण कौशल और शिक्षण सामग्री निर्माण पर कार्यशाला ।
- तकनीकी स्टाफ और बहुउद्देशीय कर्मचारियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव ।
- समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी)/राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर दौरे और अत्युत्तम कार्य करने वाले डीडीआरसी जिन्हें सर्वोत्तम प्रथा के रूप में दर्शाया जा सकता है ।

(ड.) डीडीआरसी की कम अर्हता प्राप्त श्रमशक्ति की कौशल में सुधार लाने के लिए 01 से 3 दिन तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक सप्ताह से 15 दिन तक की संवेदीकरण कार्यशालाएं और 01 वर्षीय सैंडविच पाठ्यक्रम के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित होंगे, जबकि प्रतिभागी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों जैसे सचिव /निदेशक /जिला कलेक्टरों से लेकर जिला कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारियों से लेकर पेशेवरों और डीडीआरसी में तैनात की गई श्रमशक्ति आदि से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

(च) डीडीआरसी की श्रमशक्ति के प्रशिक्षण के लिए लागत व्यापक रूप से निम्नानुसार आधारित होगी:-

- डीडीआरसी की श्रमशक्ति को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जाने के संबंध में यात्रा, आवास-भोजन खर्च डीडीआरसी के अंतर्गत जारी किए गए सहायता अनुदान के आकस्मिक शीर्ष से पूरे किए जाएंगे जबकि प्रशिक्षण लागत को सम्बद्ध राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा ।
- डीडीआरसी योजना के व्यापक ढाँचे में, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चलाये जा रहे डीडीआरसी जिला प्रबंधन टीम की समग्र देख-रेख में योजना के प्रावधानों के अनुसार, श्रमशक्ति के चयन के मामले में स्वतंत्र होंगे । इसके अतिरिक्त, विभाग के परामर्श से निर्धारित शर्तों में राज्य स्वामित्व में वृद्धि, प्रभावी काम-काज, राज्य/जिला प्राधिकारी के अंतर्गत डीडीआरसी को सहायता अनुदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में मामूली संशोधन अनुमेय है ।

## 8. डीडीआरसी की कार्य योजना

डीडीआरसी की कार्य योजना व्यापक रूप से निम्नानुसार आधारित होगी:-

- (क) दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और जिले में उनकी जरूरतें – प्रतिमाह 10-15 गांव ।
- (ख) मुख्यालय पर /सिविल अस्पताल में आवधिक रूप से मूल्यांकन शिविर ।
- (ग) ब्लाक में आवधिक अन्तराल पर मूल्यांकन सह वितरण शिविर ।
- (घ) जागरूकता सृजन कार्यक्रम जैसे विद्यालयों के दौरे/विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए गांवों में जागरूकता शिविर/आवधिक अन्तराल पर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- (ड.) आवधिक अन्तराल पर गाँवों/ब्लॉकों में अनुवर्ती शिविर ।

### 8.1 दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण

प्रारम्भिक योजना के लिए, दिव्यांगता पर जिला आंकड़ों का विवरण, यदि उपलब्ध हों, डीडीआरसी को स्थानान्तरित किया जा सकता है अर्थात् प्रत्येक गांव के दिव्यांगजनों का डाटा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/अन्य निचले स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे आशा से उपलब्ध कराया जा सकता है । कार्यान्वयन एजेंसी को डाटा संग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव व्यवस्था के चयन के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना चाहिए ।

### 8.2 सहायक उपकरणों का मूल्यांकन/फिटमेंट/अनुवर्ती और मरम्मत

#### 8.2.1 मूल्यांकन/ फिटमेंट

सहायक उपकरणों का वास्तविक फिटमेंट जिला केन्द्रों की प्रमुख गतिविधियों में से एक होगा । शिविर दृष्टिकोण और संस्थागत दृष्टिकोण के मिश्रण को सहायक उपकरणों के फिटमेंट के उपयोग में लाया जाना चाहिए । सामग्री/सहायक उपकरणों के खर्च को एडिप योजना से पूरा किया जाना चाहिए । कार्यान्वयन एजेंसी एडिप योजना के अनुसार समुचित व्यवस्था करने और खातों के रख-रखाव के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी । इसके कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:-

1. कार्यान्वयन एजेंसी को सहायक उपकरणों की आवश्यकता पर सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए ।
2. जबकि कार्यान्वयन एजेंसी तकनीकी आदान, संगठनात्मक और लाजिस्टिक्स प्रदान करती है ।
3. सभी दिव्यांगजनों की संख्या और अपेक्षित सहायक उपकरणों के प्रकार के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए ।
4. मूल्यांकन, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से सतत आधार पर और शिविर के समय विचारणीय बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों से किया जाए ।

5. यह मूल्यांकन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), स्वास्थ्य कर्मचारी, पैरा टीचर्स नरेगा पंचायती राज संस्थान स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों के सहयोग से करना चाहिए ।
6. कार्यान्वयन एजेंसी को लोगों को उपलब्ध कराई गई सहायक उपकरणों, उनकी सही और तत्काल मरम्मत को सख्त अनुवर्ती प्रयास के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए ।
7. जिला केन्द्र को सहायक उपकरणों के लिए मरम्मत सेवाएं, अनुकूलन और अनुवर्ती उपलब्ध कराये जाने चाहिए । सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए नाम मात्र शुल्क, जो विभिन्न उपकरणों और मरम्मत के प्रकार के लिए अलग-अलग लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए ।
8. जिन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों प्रदान की गई हैं, उनको जिला केन्द्र पर उपलब्ध अनुवर्ती / मरम्मत / प्रशिक्षण सेवाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए ।
9. दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के प्रभावी और सही इस्तेमाल और चिकित्सकीय सेवाओं के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए । उन्हें स्थानीय भाषा में उपकरणों के उपयोग और मरम्मत के लिए रेखाचित्र / चित्रों वाले पैम्पलेट के रूप में निर्देश भी दिए जाएं ।
10. डीडीआरसी में कार्यरत मरम्मत करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण में एलिम्को / एनआई द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए ।

### 8.3 (ग) रोकथाम का प्रचार:

रोकथाम का विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे अंधता, कुष्ठ रोग आदि के साथ-साथ विभिन्न दैनिक टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो आदि की रोकथाम के कार्यक्रमों, के माध्यम से प्रचार किया गया है । इन कार्यक्रमों को न केवल मृत्यु दर की रोकथाम बल्कि दिव्यांगता की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अतः जिला केन्द्रों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं एवं दिव्यांगता की रोकथाम के मध्य रोकथाम के प्रचार के लिए सूचना को संशोधित करने की जरूरत है। समुचित आहार-पोषण की कमी भी दिव्यांगता के मुख्य कारक के रूप में जानी जाती है। दिव्यांगता की रोकथाम का दूसरा प्रमुख पहलू पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वच्छ जीवन यापन की स्थिति है, जिसे जिला केन्द्रों के माध्यम से प्रसारित करने की जरूरत है ।

जिला केन्द्रों को दिव्यांगताओं की रोकथाम के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी को एकत्रित और जांचने एवं स्थानीय स्थितियों पर निर्भर सर्वाधिक उपयुक्त रूप और विधि द्वारा जानकारी का प्रसार करने की जरूरत है ।

अतः, जिला केन्द्रों को रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:—

- रोकथाम के क्षेत्र में कार्य करने वाले एडब्ल्यूडब्ल्यू, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों का अभिसरण ।

- कार्यान्वयन एजेंसियों के पास रोकथाम और प्रारम्भिक उपचार पर उपलब्ध जानकारी का स्थानीय भाषा में वितरण करना और प्रचारित करना ।
- कार्यान्वयन एजेंसी दिव्यांगता की पहचान, बचाव और शुरुआत में ही उसे पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईसीडीएस कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सीबीआरडबल्युएस सहित निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया जाए ।
- जापानी इंसेफेलाईटिस (जेई)/एक्यूट इंसेफेलाईटिस (एईएस) की अधिक घटना होने वाले क्षेत्रों में स्थापित और कार्यरत जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र में राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ईस्ट रोड, मुल्लुकडु, कांचीपुरम, तमिलनाडु के बहु दिव्यांगता घटक अनिवार्य रूप से होने चाहिए ।

#### 8.4 प्रारंभिक उपचार

गौण (सकेन्डरी) दिव्यांगताओं के बचाव और सभी स्तरों पर दिव्यांग बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगता की प्रारम्भिक पहचान और प्रारम्भिक उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक डीडीआरसी को एक उपचार इकाई स्थापित करना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग से कम लागत वाले उपचार का उन्हें उनके निवास-स्थान पर उपचार जारी रखने का सुझाव दिया जाना चाहिए ।

#### 8.5 बाधामुक्त वातावरण

- बाधामुक्त वातावरण का प्रावधान दिव्यांगजनों को सुगम्य पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सहायक उपकरणों का दूसरा महत्वपूर्ण पूरक है ।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित उपनियमों के सुसंगत मानक के अनुसार, सभी नये भवन, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोगिता वाले भवन, उदाहरणार्थ – विद्यालय और छात्रावास, पंचायत और अन्य सरकारी भवन, अस्पताल, बाजार, बस-स्टैंड, पार्क, सार्वजनिक शौचालयों को बाधामुक्त बनाया जाना है ।
- इसका मूल उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारों पर होना चाहिए ।
- कलेक्टर, जिला अस्पताल, स्थानीय बस अड्डे, कॉलेजों और विद्यालयों जैसी सार्वजनिक भवनों को शुरुआत से ही बाधामुक्त सुगम्यता में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।
- भवनों को बाधामुक्त सुगम्यता में परिवर्तन करने के लिए वित्तीय सहायता स्थानीय सरकार निधि और/अथवा एमपीएलएडीएस से पूरी की जाए ।
- जिला केन्द्रों को कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम होना अनिवार्य है ।

## 8.6 शिक्षा / व्यावसायिक प्रशिक्षण / प्लेसमेंट को बढ़ावा देना

शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार पुनर्वास के महत्वपूर्ण घटक हैं ।

- कार्यान्वयन एजेंसी को शिक्षकों / समुदायों / परिवारों के लिए ओरिएंटेशन – प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ।
- ये उपयुक्त व्यवसायों, सम्भव जॉब प्लेसमेंट और अन्य सुविधाओं जैसे एनएचएफडीसी के माध्यम से सॉफ्ट स्कॉल, वीआरसी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं ।
- कम से कम 6 महीनों में एक बार 03 दिनों से लेकर एक सप्ताह तक का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ।

## 9. निष्पादन रिपोर्ट

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानिट्रिंग और मूल्यांकन ऊपर सूचीबद्ध गतिविधियों और उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाएगा ।
- वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (अनुबंध – VII पर प्रपत्र के अनुसार) आगामी वित्त वर्ष की कार्य-योजना सहित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाए ।
- मंत्रालय प्रतिवर्ष नमूना आधार पर बाहरी एजेंसी द्वारा मूल्यांकित इन जिला केन्द्रों के काम-काज की जानकारी ले सकता है ।
- डीडीआरसी के तहत अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को प्रभावी निगरानी के लिए कर्मचारियों की बायो-मीट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि जैसी रिपोर्ट, सीपीएमयू या विभाग द्वारा पूछे गए दस्तावेजों को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

### अनुबंध-1

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगताएं:

#### 1. शारीरिक दिव्यांगता-

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत-

क. "कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है—

- (i) हाथ या पैरों में संवेदना की कमी के साथ—साथ आंख और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;
- (ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;
- (iii) अत्यंत शरीरिक विरूपता के साथ—साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

ख. "प्रमस्तिष्क घात" से कोई गैर—प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

ग. "बौनापन" से ऐसी कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट इस इंच (147 से.मी.) या उसके कम रह जाती है।

घ. "पेशीयदुष्पोषण" से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

ङ. "तेजाबी आक्रमण पीड़ित" से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंक कर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

क. दृष्टिगत ह्यस—

क. "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, —

- i. दृष्टि का पुर्णतया अभाव; या
- ii. सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता  $3/60$  से कम या  $10/200$  (स्नेलन) से कम; या

iii. 10 डिग्री से कम के किसी सबटेंड कोण परदृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

ख. "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:-

i. बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्ष्णता; या

ii. 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक के सबटेंड कोण के दृश्य क्षेत्र परिसीमा;

ग. श्रवण शक्ति का ह्रास-

क. "बधिर"- से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों (स्पीच फ्रीक्वेन्सी) में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

ख. "ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति" से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों (स्पीच फ्रीक्वेन्सी) में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

घ. "वाक और भाषा दिव्यांगता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. "बौद्धिक दिव्यांगता" से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत-

क. "विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;

ख. "स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार" से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

### 3. मानसिक व्यवहार—

“मानसिक रूग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, ओरिएंटेशन या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है।

### 4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

#### क. चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—

- (i) “बहु-स्केलेरोसिक” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष (नर्व) तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ श्रतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- (ii) “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प , पेशी कठोरता ओर धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्होर्कित होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के हास से संबद्ध मध्य आयु ओर वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

#### (ख) रक्त विकृति—

- i. “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता की हानि है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;
- ii. “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;
- iii. “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं ओर अंगों को नुकसान से

विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; "हेमोलेटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. **बहुदिव्यांगता** (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

## अनुबंध-II

### डीडीआरसी के लिए दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपकरण

#### 1. फिजियोथेरेपी विभाग

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	शॉर्टवेव डायथेरमी-कांटेन्यूस - बोध	1
2.	मोटरयुक्त इंटरमिटेंट सर्वाइकल और लम्बर ट्रेक्शन यूनिट	1
3.	वजन मशीन	1
4.	स्टेटिक साइकिल-ऊपरी और निचली दोनों	1
5.	1. पैराफिन वैक्स यूनिट -बैनमेरी संकल्पना (30 किलो क्षमता) 30 किलोग्राम पैराफिन वैक्स के साथ	1
6.	नमी ताप इकाई ( हाइड्रोक्लुलेटर ) - 8 आयातित पैक के साथ	1
7.	विद्युत उत्तेजक - एलसीडी / दोहरे चैनल युक्त	1
8.	इंटरफेरियनशिल थेरेपी यूनिट - एलसीडी	1
9.	लेजर थेरेपी - 200 एमडब्ल्यू / 2 प्रोब्स	1
10	शोल्डर व्हील - चुंबकीय / एलसीडी	1
11	शीत पैक इकाई - 12 परिवर्तनीय शीत जेल पैक	1
12	कंट्रास्ट बाथ	1
13	अल्ट्रासाउंड यूनिट - 1 और 3 एमएचजेड / एलसीडी	1
14	ओवरहेड पुली	1
15	एंकल व्यायामकर्ता	1
16	प्रोनेटर सुपनीनेटर इकाई	1

## 2. ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण विभाग

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	शोल्डर व्हील	1
2.	इंक्लांड सैंडिंग यूनिट	1
3.	होरिजेनटल सैंडिंग यूनिट	1
4.	वर्टिकल सैंडिंग यूनिट	1
5.	थेरेपी बॉल / फिजियो बॉल (पंप के साथ) (45 सेमी व्यास)	1
6.	थेरेपी बॉल / फिजियो बॉल (75 सेमी व्यास)	
7.	वेज	1
8.	सीपी कुर्सी	1
9.	कॉर्नर कुर्सी	1
10.	बोल्स्टर (व्यास 40 सेमी x 120 सेमी लंबा)	1
11.	बहु गतिविधि वर्कस्टेशन	1
12.	एडीएल बोर्ड (बटनिंग-अनबूटनिंग बोर्ड)	1
13.	एडीएल बोर्ड (कुंडी, ताला और कुंजी बोर्ड)	1
14.	रोइंग मशीन	1
15.	क्वाड्रिसेप्स एक्ससाइज टेबल	1
16.	जिम किट बॉक्स	1
17.	मशरूम पेग बोर्ड	1
18.	भारित पेग बोर्ड	1
19.	ग्रिप एक्ससाइज	1

20.	स्पनीनेटर-प्रोनेटर बोर्ड	1
21.	पिरामिड	1
22.	प्रोनेटर -स्पनीनेटर डिवाइस (दीवार पर टंगा हुआ)	1
23.	वेटिट कप्स	2 जोड़े
24.	रोप एंड पुली	1
25.	एंकल एक्सरसाइज (यूनिलेटरल)	1
26.	मेडिसन गेंद	1
27.	पोस्चरल प्रशिक्षण दर्पण (फ्रेम के साथ)	1
28.	फुट रॉकर बोर्ड	1
29.	कलाई रोलर	1

### 3. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग

क्र. सं.	ओ.एच के लिए उपकरणों की सूची	मात्रा
1.	ड्रिल मशीन	1
2.	सभी पूर्ण सहायक उपकरणों के साथ बेंच ग्राइंडर	1
3.	बिजली का तंदूर	1
4.	सुपर कार्वर किट	1
5.	आरा (बोश)	1
6.	सिलाई मशीन उपकरण (इलेक्ट्रिक चालक)	1
7.	चमड़ा सिलाई मशीन (इलेक्ट्रिक चालक)	1
8.	बेंच वाइस 6 "और 4"	4
9.	एंविल (50 किलो और 20 किलो)	2

10.	ऑर्थोथिक सेक्शन के लिए विविध हैंड टूल्स	2
11.	प्रोस्टेटिक सेक्शन के लिए विविध हैंड टूल्स	2
12.	चमड़े के पैडिंग और जूते के लिए विविध हैंड उपकरण	2
13.	वर्क टेबल 6 x 3 x 32 "	2
14.	मापन मेज 7 x 2-1 / 2x32 "	1
15.	फेब्रिकेशन	1
	कुल	

4. प्रमस्तिष्क घात / क्रोनिकल न्यूरोलॉजी दशाओं के लिए उपकरण

क्र सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	उपचार का उपकरण	1
2	प्रोन वेज	2
3	सिलेंडर	1
4	स्थायी फ्रेम	1
5	प्रोन क्रॉयर	1
6	रेसिप्रकल वाकर	1
7	समानांतर बार (छोटा आकार)	1
8	कोहनी क्रश (बड़ा)	4
9	कोहनी क्रश (छोटा)	4
10	बीन बैग	1
11	एडीएल ट्रेनिंग बोर्ड डमी इलेक्ट्रिक	1
12	एडीएल प्रशिक्षण बोर्ड भिन्न दरवाजे	1
13	ट्रेसिंग फ्रेम्स (सेट)	3

14	दरवाजा लैच फ्रेम सेट	1
15	एडीएल प्रशिक्षण: बोर्ड - यांत्रिक क्रियाएँ	1
16	कपड़ा क्लिप	1
17	ट्रेसिंग कौशल के लिए डमी, गतिविधियों को मिलाने के लिए	1 सेट
18	विभिन्न आकार बटन के साथ परिधान	3
19	जूते के फीते बांधने में प्रशिक्षण करने के लिए खिलौने	2
20	रॉकर बॉटम चाकू	2
21	कुंडा चम्मच, बर्तन के साथ अनुकूलित हैंडल (पृथक्कणीय)	2
22	पेन होल्डर	2
23	रिचर्स	2
24	प्लेट गार्ड	2
25	अनुकूलनीय और सहायक उपकरण किट	2
26	पेग बोर्ड	1
27	पॉप बीड्स	1
28	मिट्टी की लोर्ड	1 बॉक्स
29	छोटे बड़े ब्लॉक	1
30	सिक्का बॉक्स ( हुंडी )	2
31	सॉफ्ट बॉल	5
32	हैंड एक्ससाइज	1
33	समन्वय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड	1
34	चुंबकीय पेग बोर्ड	1
35	छोटे बड़े ब्लॉक (स्ट्रोक रोगी के लिए मास ग्रैप में सुधार के लिए)	1
36	कांटिन्युअस पैसिव मूवमेंट (यू / ई) (सीपीएम)	1
37	परीक्षक बोर्ड-आर्म और कंधे	1
38	फिंगर एक्सटेंशन रेमेडियल बोर्ड	1

39	सैंड एंड वाटर टेबल	1
40	बॉल्स (टोकरी और वॉली बॉल)	4
41	थेरा बेंड	1 सेट
42	50 छेद वाला लकड़ी का बोर्ड और 20 जंग मुक्त गैल्वेनाइज्ड रॉड के साथ	01
43	टिकाऊ फोम बोर्ड नंबर कार्ड और प्रतीक कार्ड	01
44	6 रंगों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोती (बड़े आकार और छोटे आकार में)	1 सेट
45	परिवेश आदि के शैक्षिक जल रोधक रंग चार्ट।	-
46	1 फ्लैश कार्ड धारक (नया डिजाइन) 91	01
47	एजुकेशन पिक्चर्स कार्ड और वर्क कार्ड किट (प्रत्येक किट में 7 जल रोधक पिक्चर्स कार्ड और फोम बोर्ड मेचिंग वर्ल्ड कार्ड) परिवहन, प्लेटाइम, परिवेश के लिए	1 सेट
48	टीकवुड बेस छोटे, मध्यम, बड़े अंडाकार पर घड़ी के रूप वाली टिकट	1 सेट
49	विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंगीन आधार पर सब्जियों पर टिकट	1 सेट
50	विशेष आधार पर फल की टिकटें	1 सेट
51	विशेष आधार पर जंगली जानवरों पर टिकट	1 सेट
52	विशेष आधार पर घरेलू जानवरों पर टिकट	1 सेट
53	विशेष आधार पर परिवहन पर टिकट	1 सेट
54	लकड़ी की संख्या पट्टी (1-100) और प्रदर्शन फ़ोल्डर	10
55	संख्या के लिए लकड़ी के शैक्षिक नंबरकार्ड (1-100), प्रतीक इत्यादि	10
56	डे बर्डी ( सप्ताह के दिनों को सीखने की पहेली)	01
57	विकसित पौधे (पौधे के कुछ हिस्सों और वे कैसे बढ़ते हैं, को सीखना)	01
58	हैंडप्रिंट (संख्या 1-5 सीखने के लिए)	01

59	पैरों के फुट प्रिंट (संख्या 11-20 सीखने के लिए)	01
60	ऑड-इवन डक (सम-विषम संख्या का परिचय कराने के लिए 1-10)	01
61	रखरखाव किट (सुरक्षित नियंत्रण के लिए सुराख और फीते के साथ 3 आकार में)	01
62	फुटस्टेप्स (सुरक्षित नियंत्रण के लिए सुराख और फीते के साथ 20 आकार में)	01
63	त्यौहार एक कहानी अनुक्रम पहेली (क्रिसमस), त्यौहार एक कहानी अनुक्रम पहेली ( दिवाली ), महोत्सव एक कहानी अनुक्रम / पहेली	01 01
64	मौसम (साल भर) किट 1.1 गर्मियों के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 कार्य कार्ड, किट 2.1 सर्दियों के रंगीन चार्ट	
65	हम क्या पहनते हैं - कपड़ों के 25 चित्र कार्ड, कपड़ों के 25 शब्द कार्ड, शब्दों के 25 शब्द कार्ड।	1 सेट
66	दैनिक जीवन अनुकूलन किट (मानसिक दिव्यांगों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलित दैनिक जीवन की 22 वस्तुओं के नमूने	1

## 5. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार / बौद्धिक दिव्यांगता विभाग

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा
1	लकड़ी के बोर्ड के साथ 59 छेद और 20 जंग मुक्त गैल्वेनाइज्ड रॉड	01
2	टिकाऊ फोम बोर्ड नंबर कार्ड और प्रतीक कार्ड	01
3	6 रंगों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोती (बड़े आकार और छोटे आकार में)	1 सेट
4	परिवेश के शैक्षिक रोधक रंगीनचार्ट	-
5	1 फ्लैश कार्ड धारक (नया डिजाइन)	01
6	शैक्षणिक चित्र कार्ड और कार्य कार्ड किट (7 किट जल रोधक	1 सेट

	पिक्चर कार्ड और प्रत्येक किट में फोम बोर्ड मिलान करने वाला विश्व कार्ड) जैसे परिवहन, प्लेटाइम, परिवेश	
7	टीकवुड बेस-छोटे, मध्यम, बड़े, अंडाकार पर घड़ी के रूप वाली टिकट	1 सेट
8	विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंगीन आधार पर सब्जी पर टिकट	1 सेट
9	विशेष आधार पर फल पर टिकट	1 सेट
10	विशेष आधार पर जंगली जानवरों पर टिकट	1 सेट
11	विशेष आधार पर घरेलू जानवरों पर टिकट	1 सेट
12	विशेष आधार पर परिवहन पर टिकट	1 सेट
13	लकड़ी के नंबर स्ट्रिप्स (1-100) और प्रदर्शित करने के लिए फोल्डर	10
14	लकड़ी के शैक्षिक नंबरकार्ड संख्या के लिए (1-100), प्रतीक इत्यादि।	10
15	डे बर्डी (सप्ताह के दिनों को सीखने के लिए पहेली)	01
16	विकसित पौधे (पौधे के भागों और वे कैसे बढ़ते हैं, को सीखने के लिए)	01
17	हैंडप्रिंट्स (संख्या 1-5 सीखने के लिए)	01
18	फुटप्रिंट्स (संख्या 11-20 सीखने के लिए)	01
19	ऑड एंड इवन डक (सम और विषय संख्या 1-10 की जानकारी कराने के लिए)	01
20	लेसिंग किट ( सुरक्षित नियंत्रण के लिए फीते और सुराख के साथ 3 आकार वाली )	01
21	फुटस्टेप्स (सुराख सहित 20 आकार वाले और मोटर नियंत्रण के लिए फीते	01
22	त्यौहार पहेली अनुक्रम में एक कहानी (क्रिसमस)	01
23	मौसम (वर्ष भर) किट 1.1 गर्मी के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 शब्द कार्ड, किट 2.1 सर्दियों के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 शब्द कार्ड, किट 3.1 बरसात के मौसम के रंगीन कार्ड, 1 होल्डर, 15 शब्द	1 सेट

	कार्ड, मौसम किट सभी 3 मौसम और होल्डर के साथ धारक और 45 शब्द कार्ड	
24	हम क्या पहनते हैं	1 सेट
25	दैनिक जीवन अनुकूलन किट (मानसिक दिव्यांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलित दैनिक जीवन की 22 वस्तुओं के नमूने	1
26	खिलौने (दृश्य, श्रवण और स्पर्श के लिए प्रयोग किए जाने वाले)	10
27	थेरेपी बॉल	1
28	बोल्ल्स्टर	1
29	संतुलन बोर्ड	1
30	कॉमर सीट	1
31	संशोधित कुर्सियां (सकारात्मक और नकारात्मक)	1
32	फ्लिप चार्ट , वाहन, संख्या, सब्जियां, पशु	-
33	सब्जियों, फल, संख्या, पशुओं की शब्द पुस्तिका	-
34	ग्रामीण शिशुओं और बच्चों के लिए प्रेरणादायक सामग्री निर्माण के लिए नियमावली	-
35	नृत्य प्रकाश	5 सेट
36	रेडियम स्टिकर	5
37	यूवी लाइट्स	5 सेट
38	दीवार पर पड़ने वाला रंगीन प्रकाश	5
39	फ्लेक्सिबल सीरियल ट्यूब लाइट्स	2 सेट
40	स्टिकर	5
41	बॉल पूल (छोटे प्लास्टिक बॉल्स के साथ)	1
42	सुरंग	1
43	बाइब्रेटर (बॉडी मसाजर)	5
44	रस्सी की सीढ़ी	1
45	बैलेंस बीम	1

46	ट्रेम्पोलिन	1
47	वर्गीकृत स्टूल के साथ वर्गीकृत मेज	1
48	ज्यामितीय आकार क्रॉलिंग फॉर्म	1
49	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -1	1
50	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -2	1
51	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -3	1
52	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -4	1
53	कंप्यूटर असिस्टेड निर्देश (सीएआई) पैकेज -7 सीडी- प्रत्येक सीडी रु. 50 / -	1 सेट
54	ग्रेड स्तर आकलन डिवाइस (जीएलएडी)	1
55	व्यवसाय आकलन डिवाइस (जीएलएडी)	1
56	प्रोग्रामिंग के लिए कार्यात्मक आकलन जांचसूची (एफएसीपी)	1
57	मानसिक मंदता ग्रस्त भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन पैमाना (बेसिक-एमआर) (i) अंग्रेज़ी (ii) हिंदी	1
58	भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धिमत्ता पैमाना (एमआईएसआईसी)	1
59	विकास जांच परीक्षण (बीकेटी)	1
60	विनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाना (वीएसएमएस)	1
61	बिनेट-कामत परीक्षण (बीकेटी)	1
62	स्वलीनता के आकलन के लिए भारतीय पैमाना (आईएसएसए)	राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट पर उपलब्ध है
63	लाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल (सीएआरएस)	1

### अनुबंध-III (क)

राज्य के चिन्हित और अनुमोदित जिले में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष हेतु सहायता अनुदान के प्रस्ताव हेतु आवेदन-पत्र ।

1. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर आवंटित विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, यदि पूर्व में (पंजीकृत नहीं है तो <http://ngodarpan.gov.in> पर पंजीकरण करें)

---

2. राज्य और जिले का नाम जहां डीडीआरसी स्थापित / काम-काज किया जाना है
3. क. क्या जिला प्रबंधन टीम का गठन किया गया है: हां / नहीं  
ख. यदि हां, डीएमटी के गठन का आदेश संलग्न करें: संलग्न  
ग. डीएमटी की पिछली बैठक के आयोजन की तिथि  
घ. क्या डीएमटी के बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है संलग्न
4. क. क्या उपयुक्त कार्यान्वित एजेंसी की पहचान की गई है: हां / नहीं  
ख. कार्यान्वित एजेंसी के ब्यौरे  
  - i. एजेंसी का नाम
  - ii. पता
  - iii. दूरभाष / फ़ैक्स संख्या
  - (iv) ई-मेल / आई डी
  - (v) आईए का पैन / टिन / टैन नं० (कोई एक)
5. क्या एजेंसी पंजीकृत है: हां / नहीं  
  - क. यदि हां, अधिनियम का नाम जिसके तहत पंजीकृत हुई है:
  - ख. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख:
  - ग. क्या एजेंसी के पास वैध पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र है: (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. संस्था के बहिर्नियम और एजेंसी के उप-नियम (बाए लॉज) (कृपया प्रति संलग्न करें)

7. डीडीआरसी के लिए आवास के ब्यौरे:
- क. डीडीआरसी भवन का प्रस्तावित स्थान:
  - ख. क्या भवन राज्य सरकार के स्वामित्व में है अथवा किराए पर है
  - ग. निर्मित क्षेत्र
  - घ. कमरों की संख्या:
  - ड.. क्या आवास विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
  - च. क्या भवन बाधामुक्त है।
  - छ. क्या भवन में दिव्यांगजनों की सुगम्य पहुंच है:
  - ज. क्या पर्याप्त रूप में पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध है:
8. (क) क्या श्रमशक्ति की तैनाती के लिए कदम उठाए गए हैं :  
(ख) यदि हां, ब्यौरे दिए जाएं:
9. क्या डीडीआरसी के नाम से बचत बैंक खाता संयुक्त रूप से परिचालन के लिए खोला गया है।  
हाँ/ नहीं
10. निर्धारित प्रपत्र में बैंक अधिकृत पत्र (अनुबंध-IV)  
में ब्यौरे दिए जाएं:-
- i. बैंक की शाखा
  - ii. आईएफसीआई कोड
  - iii. एमआईसीआर कोड
  - iv. प्राप्तकर्ता के विवरण के अन्य ब्यौरे जैसे पता, ई-मेल पता आदि
11. क्षतिपूर्ति बांड जमा करना (अनुबंध-VII के प्रपत्र के अनुसार)

डीडीआरसी की कार्यान्वित एजेंसी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा

( \_\_\_\_\_ )

जिला मजिस्ट्रेट

राज्य का समाज कल्याण अधिकारी

### अनुबंध- III (ख)

पूर्व में स्थापित/कार्यरत जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र के लिए हेतु दूसरे वर्ष से आगे सहायता अनुदान प्रस्ताव के लिए आवेदन-पत्र ।

1. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर आवंटित विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, यदि पूर्व में (पंजीकृत नहीं है तो <http://ngodarpan.gov.in> पर पंजीकरण करें) \_\_\_\_\_
2. राज्य और जिले का नाम जहां डीडीआरसी स्थापित/कार्य कर रहे हैं  
.....  
...
3. क. क्या जिला प्रबंधन टीम का गठन किया गया है: हां/नहीं  
ख. डीएमटी की पिछली बैठक कब आयोजित की गई  
ग. क्या डीएमटी के बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है संलग्न
4. क. कार्यान्वित एजेंसी के ब्यौरे  
i. एजेंसी का नाम  
ii. पता  
iii. दूरभाष/फैक्स संख्या  
iv. ई-मेल आई डी  
v. आईए का पैन/टिन/टैन नं. (कोई एक)
5. क्या एजेंसी पंजीकृत है: हां/नहीं  
क. यदि हां, अधिनियम का नाम जिसके तहत पंजीकृत हुई है:  
ख. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख:  
ग. क्या एजेंसी के पास वैध पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र है: (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. संस्था के बहिर्नियम और एजेंसी के उप-नियम (बाए लॉज) (कृपया प्रति संलग्न करें)
7. डीडीआरसी के लिए आवास के ब्यौरे:  
क. डीडीआरसी भवन का प्रस्तावित स्थान:  
ख. क्या भवन राज्य सरकार के स्वामित्व में है अथवा किराए पर है

- ग. निर्मित क्षेत्र  
घ. कमरों की संख्या:  
ड.. क्या आवास विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाएगा।  
च. क्या भवन बाधामुक्त है।  
छ. क्या भवन में दिव्यांगजनों की सुगम्य पहुंच है:  
ज. क्या पर्याप्त रूप में पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध है

8. क्या डीडीआरसी के नाम से बचत बैंक खाता संयुक्त रूप से परिचालन के लिए खोला गया है।  
जी हाँ/जी नहीं

9. निर्धारित प्रपत्र में बैंक अधिकृत पत्र (अनुबंध-IV)  
में निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएं:-

- (i) बैंक की शाखा  
(ii) आईएफएससी कोड  
(iii) एमआईसीआर कोड  
(iv) प्राप्तकर्ता के विवरण के अन्य ब्यौरे जैसे पता, ई-मेल पता आदि

10. डीडीआरसी द्वारा प्राप्त किए गए पिछले सहायता अनुदान के ब्यौरे -

क्रम सं.	वित्त वर्ष के लिए सहायता अनुदान	स्वीकृति-पत्र और तारीख	राशि	उपयोग प्रमाण-पत्र अनुबंध VI पर प्रपत्र/ सीए द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित खाते

11. क्षतिपूर्ति बांड जमा करना (अनुबंध-VII के प्रपत्र के अनुसार)

12. उपलब्ध, उपयोग में लाई गई निधियों और सहायता अनुदान की मांग के ब्यौरे

उप शीर्ष	वित्त वर्ष के लिए प्रारम्भिक शेष	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया अनुदान	वित्त वर्ष के लिए कुल अनुदान	अर्धवर्ष के आरम्भ होने तक व्यय	अर्धवर्ष के दौरान व्यय	वित्त वर्ष के दौरान कुल व्यय	शेष अवधि के लिए अनुदान की आवश्यकता
उपकरण							
मानदेय							
यात्रा							
आकस्मिक व्यय							

13. पिछले वर्ष की निष्पादन रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए (प्रति अनुबंध-V के अनुसार)

14. डीडीआरसी के तहत नियुक्त स्टाफ:

क्र.सं.	नाम	योग्यता	नियुक्ति की प्रकृति संविदागत/मानदेय पर/अवैतनिक	नियुक्ति की तिथि	पदनाम	कर्मचारी के आधार कार्ड की संख्या	मानदेय की राशि

15. अन्य स्रोतों से अर्जित/प्राप्त निधियों के ब्यौरे, यदि कोई है:

निधि का स्रोत	वर्तमान वित्त वर्ष की तिमाही तक	तिमाही के दौरान	वित्त वर्ष के दौरान जोड़ (कुल योग)
पंजीकरण के माध्यम से			
दान स्वरूप			
सेवा प्रभार			
अन्य (कृपया उल्लेख किया जाए)			

डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

डीएम की अनुशंसा

( )  
जिला मजिस्ट्रेट/राज्य समाज कल्याण विभाग



<p>मेरे द्वारा राशि सत्यापित की गई</p> <p>(प्रबंधक )</p> <p>(खाते का रख-रखाव करने वाली बैंक शाखा)</p> <p>(मुहर)</p>	<p>संगठन का नाम  प्राधिकरण की पंजीकरण संख्या ..... और तिथि  और पंजीकरण स्थान  दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण संख्या .....  ..... और तिथि  एनजीओ दर्पण का विशिष्ट पहचान-पत्र  टिन/टेन/टैन/पैन नं० अनिवार्य है ।</p> <p>मैं प्रमाणित करता हूं कि संगठन द्वारा ऊपर दी गई जानकारी  गैर-सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर प्रदान की गई जानकारी  के साथ मेल खाती है ।</p> <p>संगठन का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता —  (नाम) (हस्ताक्षर)</p>
---	--

## अनुबंध V

### वार्षिक (निष्पादन रिपोर्ट : फिजिकल)

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम : –

डीडीआरसी का नाम और पता :

शुरुआत का महीना :

लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या : तक .....

वर्तमान वर्ष तिमाही के दौरान : .....

#### 1. वितरित उपचारात्मक सेवाएं (की गई सर्जरियों को छोड़कर)

वर्ग	पिछले वित्त वर्ष तक	चालू वित्त वर्ष के दौरान आज की तारीख में	कुल योग
अस्थिरोग ग्रस्त दिव्यांग			
मानसिक दिव्यांग			
दृष्टि दिव्यांगजन			
श्रवण बाधित			
बहु दिव्यांगताएं			
कुल			

#### 2. एडिप से संबंधित गतिविधिया:

सहायक उपकरणों का प्रावधान / फिटनेस (उपकरणों की इकाइयों में)	पिछले वित्त वर्ष तक	चालू वित्त वर्ष के दौरान	कुल योग
(क) व्हील चेयर			
(ख) ट्राईसाइकिल			
(ग) श्रवण बाधित के लिए			

हियरिंग सहायक डिवाइस			
(घ) दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्र			
(ड.) कोई अन्य सहायक यंत्र और उपकरण।			
(च) की गई सर्जरियां			
(छ) अंगों की फिटिंग			
कुल			
कोई अन्य अनुवर्ती सेवाएं (सेवाओं की इकाइयों में)			

3. प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां – प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।

श्रेणी	पिछले वित्तीय वर्ष तक	कुल (वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान)	कुल योग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता			
एएनएम			
शिक्षक			
नर्स			
कोई दूसरा			
कुल			

4. जन जागरूकता (विजिट / कार्यक्रमों की संख्या इंगित करें)

श्रेणी	पिछले वित्त वर्ष तक	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान)	कुल योग
स्थानीय भाषा में लिखित सामग्री की			

तैयारी और निःशुल्क वितरण			
रेडियो टॉक			
स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से टीवी कवरेज			
प्रिंट मीडिया में लेखों का प्रकाशन			
स्कूल के विजिट और शिक्षकों / प्रिंसिपल और छात्रों को संबोधित करना।			
दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के साथ बैठक			
गैर दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के साथ बैठक			
स्वयं सहायता समूह			
अन्य व्यक्ति			

5. रोजगार /सुविधाओं में रियायतें

श्रेणी	पिछले वित्त वर्ष तक	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान)	कुल योग
स्व नियोजित			
सरकारी / निजी क्षेत्र में नियोजित			
दिव्यांग प्रमाण पत्र छूट प्राप्त			
नियमित स्कूल में प्रवेश			

6. व्यापक गतिविधियां:

श्रेणी	पिछले वित्त वर्ष तक	कुल वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान)	कुल योग
सर्वेक्षण किए गए गांव की संख्या			
मूल्यांकन शिविर (शिविर एप्रोच के माध्यम से)			
फोलोअप शिविर (शिविर एप्रोच के माध्यम से)			
डीएमटी की बैठकों की संख्या			
कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें			

**अनुबंध VI**  
**जीएफआर 12 – क**

[[नियम 238 (1) देखें]

वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण पत्र..... आवर्ती/गैर-आवर्ती सहायता अनुदान  
/वेतन/पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के संबंध में

1. योजना का नाम.....
2. क्या आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान है.....

- (i) वित्त वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
- (ii) कैश इन हैंड/बैंक
- (iii) असमायोजित अग्रिम राशि
- (iv) कुल

3. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंत शेष राशि का विवरण: (वास्तविक आंकड़े)

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि [क्र.संख्या 3 (iii)] पर आंकड़ा	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (1 +2- 3 + 4)	व्यय	अंत शेष राशि (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति सं. (i)	दिनांक (ii)	राशि (iii)			

अनुदानों का घटकवार उपयोग:

सामान्य सहायता अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	सहायता अनुदान-पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) कैश इन हैंड/बैंक
- (ii) असमायोजित अग्रिम राशि
- (iii) कुल

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे उन्हें विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जांचों का प्रयोग किया है कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी:

(i) मुख्य लेखा और अन्य सहायक लेखा और रजिस्टर (परिसंपत्तियों के रजिस्ट्रों सहित) को संगत अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख) में निर्धारित अनुसार रखा जाता है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की जाती है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/खातों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय इनपुट की तुलना में वास्तविक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों पर नजर रखने, परिसंपत्ति सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि के लिए आंतरिक नियंत्रण विद्यमान हैं। और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के आधार पर, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों और योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट शब्दों में सौंपी गई हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं हैं।

(v) अपेक्षित लाभार्थियों को लाभ दिए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों / जिलों को कवर किया गया था जहां योजना संचालित करने का इरादा था

(vi) योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

यह सुनिश्चित किया गया है कि (योजना का नाम) के तहत वास्तविक और वित्तीय निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार रहा है और उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रदर्शन/लक्ष्यों के परिणामस्वरूप निधियों के उपयोग के परिणाम अनुबंध-1 में विधिवत संलग्न है।

(vii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम अनुबंध-॥ में विधिवत संलग्न है, (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदष्टियों के अनुसार तैयार किए जाने के लिए) दिए गए हैं।

(viii) एजेंसी द्वारा उसी मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से निष्पादित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र-॥ में दिया गया है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदष्टियों के अनुसार तैयार किया जाना है)।

दिनांक:

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम.....

संगठन के प्रमुख

हस्ताक्षर

नाम.....

मुख्य वित्त अधिकारी

(वित्त प्रमुख)

(लागू न होने वाली शर्तों को काट दें)

## अनुबंध- VII

(20/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

### बंधपत्र

इन बंधपत्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों को यह विदित हो कि .....राज्य में.....  
..... कार्यालय में पंजीकरण संख्या ..... दिनांक..... द्वारा ..... (पंजीकरण प्राधिकरण का नाम एवं पूर्ण पता).....के कार्यालय द्वारा पंजीकृत किए जाने पर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत .....  
.....(पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार संगठन का नाम) संस्था के रूप में हम (यहां इसके पश्चात बाध्यकार/बाध्यताधारी कहा गया) मांग किए जाने पर अविलंब रूप से भारत के राष्ट्रपति (यहां इसके पश्चात सरकार कहा गया) को सही वास्तविक रूप से भुगतान की जाने वाली .....रु. की राशि (केवल.....रु. शब्दों में) सहित इस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इस पर ब्याज के लिए धारित और दृढ़ता पूर्वक बाध्य हैं। जिसका भुगतान करने के लिए हम इस बंधपत्र के द्वारा स्वयं एवं अपने उत्तराधिकारियों तथा नियुक्त व्यक्तियों का बाध्य करते हैं।

2. वर्ष दो हजार ..... में ..... माह.....के .....दिन को हस्ताक्षरित.....

3. जबकि बाध्यताकारीगणों ने अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....(एनजीओ को अग्रेषित पत्र की संख्या और तारीख लिखें) द्वारा.....रु. (आवेदित सहायता अनुदान/अनुमानित बजट की राशि लिखें) के अनुदान के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है। बाध्यताकारी इस बांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पक्ष में, अग्रिम रूप से निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं जैसा कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है। बाध्यताकारी प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। बाध्यकर्ता इस अनुबंध के साथ प्रस्तावित राशि का बंधपत्र निष्पादित करने का इच्छुक है कि बाध्यताकारी इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, तक, जो भी कम हो, के लिए बाध्य होंगे। बाध्यताकारी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले "स्वीकृति पत्र" में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करने का भी इच्छुक है।

4. अब उक्त लिखित दायित्व की शर्त ऐसी है कि यदि बाध्यताकारीगण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत रूप से पूर्ण और अनुपालन करते हैं तब उक्त लिखित बंधपत्र निरस्त और अप्रभावी होंगे। अन्यथा यह पूरी सख्ती एवं भावना में कायम रहेगा। यदि अनुदान का कोई भाग उस अवधि की समाप्ति के बाद अव्ययित शेष है, जिसमें यह व्ययित किया जाना आवश्यक है, तो बाध्यताकारीगण 10% (दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अव्ययित शेष को लौटाने के लिए सहमत हैं, जब तक कि इसे अगले वित्त वर्ष के लिए आगे ले जाने की स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है। इस पर अर्जित ब्याज सहित अनुदान राशि वापस लौटाई जाएगी।

5. समिति / न्यास सहमत है और सरकार को ऐसे सभी आर्थिक या अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य को लौटाने / भुगतान करने करने के लिए सहमत एवं वचनबद्ध है जो यह प्राप्त या व्युत्पन्न कर सकती है। संपत्ति / भवन के अनधिकृत प्रयोग के माध्यम से / द्वारा प्राप्त या व्युत्पन्न की हैं (जैसे कि पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिफल की अपेक्षा कम प्रतिफल पर परिसर किराए पर देना या अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग) सरकारी अनुदान में से अत्यधिक सृजित / अर्जित / निर्मित अन्य संपत्ति सरकार को लौटाए/भुगतान की जानी उपर्युक्त उल्लिखित आर्थिक कीमत से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं समिति / न्यास पर बाध्यकारी होगा।

#### 6. अनुदानग्राही कार्यकारी समिति के सदस्य

क. स्वीकृति पत्र में निहित की गई लक्षित तारीखों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेगा, और

ख. अनुदान को वापस नहीं करना या योजना या संबंधित कार्य के निष्पादन को अन्य संस्था (एस) या संगठन (एस) को सौंपना, और

ग. सहायता अनुदान को अभिशासित करने वाले करार में निर्दिष्ट अन्य किसी शर्तों का पालन करेगा।

अनुदानग्राही द्वारा बंधपत्र की शर्तों का अनुपालन न करने या शर्तों को तोड़ने के मामले में, बंध पत्र के हस्ताक्षरकर्ता संपूर्ण या अनुदान की शेष राशि इस पर 10% प्रति वर्ष की दर ब्याज सहित भारत के राष्ट्रपति, ब्याज को वापस करने के लिए संयुक्त रूप से एवं प्रमुख रूप से उत्तरदायी होंगे।

#### 7. यहां उपस्थित व्यक्ति इसके भी साक्षी हैं कि

i. यदि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किन्हीं निबंधन एवं शर्तों को तोड़ा या उल्लंघन किया जाता है तो इस मामले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारीगणों पर बाध्यकर होगा, और

ii. इस बंधपत्र पर संदेय स्टांप शुल्क सरकार वहन करेगी, लागत अनुदान से समायोजित की जा सकती है।

इन उपस्थित व्यक्तियों जिनकी साक्षी में यह दस्तावेज बाध्यकारीगणों के शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प सं. \*..... दिनांक\* के अनुसरण में और इसके साथ-साथ उपर्युक्त लिखित तारीख को बाध्यकारीगणों की ओर से निष्पादित किया गया है, जिसकी एक प्रति अनुबंध ख के रूप में यहां भी संलग्न की गई है।

(-----)

के लिए ओर की ओर से हस्ताक्षरित \*\*.....

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर \*\*\*

(पंजीकरण अनुसार बाध्यकारी संस्था का नाम)

पूर्ण डाक पता.....

दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर.....

ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो) .....

फैक्स नंबर .....

(की उपस्थिति में) साक्षी का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. संस्थान की पंजीकरण संख्या

2. पंजीकरण की तारीख-----

भारत के राष्ट्रपति की ओर से किसी एक के लिए स्वीकार किया गया

पदनाम दिनांक नाम और पता

\* प्रबंधन/कार्यकारी समिति के संकल्प की संख्या और तारीख जिसके तहत संगठन ने अपने बंधपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

\*\* एनजीओ का नाम

\*\*\* ऐसा बंधपत्र हस्ताक्षर करने के लिए डीडीआरसी के एनजीओ/कार्यान्वयन एजेंसी के संकल्प द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए) से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी के निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा

वर्ष के लिए .....

(नया मामला / चल रहा मामला)

1 योजना का नाम: .....

2 निरीक्षण की तिथि:..... समय : \_\_\_\_\_

3

निरीक्षण अधिकारी का नाम	पदनाम	पता व दूरभाष नं. सहित प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसी	मुहर सहित हस्ताक्षर

4 (i) कार्यान्वयन एजेंसी का पिनकोड (पंजीकृत कार्यालय), दूरभाष नं. :  
(एसटीडी कोड सहित), मोबाइल नं., फैक्स और ईमेल तथा

वेबसाइट पता सहित, नाम और पूरा डाक पता:

(ii) परियोजना का स्थान (डीडीआरसी) : आई ए का दूरभाष/ईमेल और :  
फैक्स नं. पैन/टीआईएन/टीएएन न. (यदि कोई हो तो)  
सहित स्थान का पूरा पता जहां डीडीआरसी लागू की जा रही है।

(iii) संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम सहित नाम :  
साथ ही उनका मोबाइल/दूरभाष नं.

(iv) इसके गठन की अधिसूचना के साथ डीएमटी का विवरण :

(v) पिछली डीएमटी बैठक का कार्यवृत्त:

5 (i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास/सेक्शन/कम्पनी अधिनियम :  
के तहत संगठन के पंजीकरण की तिथि और वैधता की अवधि

(ii) निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण की तारीख :  
और वैधता की अवधि

(iii) नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर विशिष्ट आईडी :

## 6 परियोजना की प्रकृति

(क) परियोजना के शुरू होने की तारीख :

(ख) परियोजना हेतु सहायता अनुदान के प्रारंभ होने :  
का वर्ष

## 7 डीडीआरसी के स्थान का विवरण :

(i) क्या भवन राज्य सरकार स्वामित्व तहत है या किराए पर:

(ii) यदि किराए पर है, तो उसका विवरण :

(iii) क्या परियोजना के संचालन हेतु भवन में पर्याप्त : हां / नहीं  
स्थान है?

(iv) निर्मित क्षेत्रफल:

(v) कमरों की संख्या:

(vi) क्या स्थान का प्रयोग विशेष रूप से हुए कार्यक्रम  
के लिए किया जा रहा है:

(vii) क्या भवन बाधामुक्त है

8 (i) क्या बैंक खातों के संयुक्त संचालन के सिद्धांतों :  
हां/ नहीं

का अनुपालन किया जा रहा है:

(ii) बैंक खाते का विवरण : बैंक प्राधिकृत पत्र में :

डीडीआरसी का नाम (बैंक प्राधिकारियों द्वारा  
विधिवत हस्ताक्षरित) यह विभाग द्वारा जारी

स्वीकृत पत्र में उल्लिखित के अनुसार वही होना चाहिए।

9 संगठनों को निधियों का मूल स्रोत क्या हैं

.....  
.....

10 निम्नलिखित जांच बिंदु बनाए गए हैं:-

1 इस मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों की प्रविष्टियां :

2 बैंक खातों में अनुदानों को जमा करना :

3 भुगतान किए गए वेतन तथा वेतन के वास्तविक भुगतान की रिकार्डिंग :

4 प्राप्तकर्ताओं के साथ वेतन के भुगतान हेतु पुष्टिकरण :

5. लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान अर्थात् स्टार्डिपेंड, परिवहन, भत्ता :

11 गत वर्ष पुनर्वास सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या :

12 डीडीआरसी के पास उपलब्ध उपकरण :

13 संगठन की वेबसाइट (यूआरएल) :

14 (i) क्या स्टॉफ योग्यता प्राप्त हैं : हां /नहीं  
यदि नहीं तो उसका विवरण

(ii) संगठन द्वारा नियुक्त स्टॉफ की संख्या और :  
निरीक्षण के दौरान उपस्थित पाए गए स्टॉफ की संख्या

(iii) स्टॉफ को किया गया भुगतान-चेक/ईसीएस/नकद :

(iv) यदि भुगतान नकद में किया गया है, तो उसका कारण :

15 रिकार्ड का रखरखाव: क्या निम्नलिखित रिकार्डों का रखरखाव किया जाता है?

i) रोकड़ पुस्तिका : हां /नहीं

ii)	लेखा	:	हां /नहीं
iii)	परिसंपत्तियों का रजिस्टर	:	हां /नहीं
iv)	उपभोग्य सामग्री हेतु रजिस्टर	:	हां /नहीं
v)	मानदेय हेतु भुगतान रजिस्टर	:	हां /नहीं
vi)	प्रशिक्षुओं हेतु उपस्थिति पंजिका	:	हां /नहीं
vii)	जीबीएम के कार्यवृत्तों का वर्षवार रिकॉर्ड	:	हां /नहीं
viii)	प्रशिक्षुओं हेतु स्टाइपेंड भुगतान रजिस्टर	:	हां /नहीं

16 संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर, यह प्रमाणित करने के लिए उपरोक्त 1-20 बिंदुओं में दी गई सूचना सही हैं।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित)

पूरा नाम :

पदनाम:

कार्यालय का मुहर

22 इस परियोजना के लिए सहायता जारी रखने के संबंध में विशेष संदर्भ/टिप्पणियों सहित निरीक्षण टीम/निरीक्षण अधिकारी की सिफारिश

हस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित पूरा

नाम :

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

कार्यालय की मुहर

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित):

पूरा नाम

स्थान:

पदनाम:

कार्यालय की मुहर

**SETTING UP**

**OF**

**DISTRICT DISABILITY REHABILITATION CENTRES**

## **ESTABLISHMENT OF DISTRICT DISABILITY REHABILITATION CENTRES (DDRCs)**

### **1. Background**

During 1985-1990, District Resource Centres (DRCs) started as an outreach activity of the National Institutes/ALIMCO under the Ministry of Social Justice and Empowerment for providing comprehensive services to the persons with disabilities at the grass root level and for facilitating creation of the infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation, rehabilitation and training of rehabilitation professionals.

From the year 1999-2000, the District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs) were established with active support from the State Governments. While the National Institutes/ALIMCO/DRCs facilitated establishment through technical inputs and funds for 3 years, the State Governments provided a barrier free building and supervised and facilitated convergence of its activities with the State schemes through District Management Team headed by Collector. At that time it was planned to hand over these centres to the district administration after a period of 3 years, but as States were not inclined to take over on account of meeting the funding from their own resources, the funding of the Scheme was shifted under Scheme for Implementation of Provisions of Persons with Disabilities Act (SIPDA)/Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS). From 2018-19, the funding of the Scheme was under Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act (SIPDA). This is an umbrella scheme under which grants-in-aid are provided to State Governments and various other bodies, set up by the Central and State Governments, including Autonomous Bodies and Universities, to support activities. DDRCs are funded under Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) from 2020-21 under which grants are released to State Governments and various other bodies, set up by the Central and State Governments, including Autonomous Bodies and Universities, to support various activities for the welfare of disabled.

### **2. Objectives of setting up of DDRC**

Setting up of District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs) which would provide rehabilitative support to persons with disabilities through

- (i) Survey & identification of persons with disabilities through camp approach; facilitation of disability certificate, bus passes and other concession/facilities for persons with disabilities; assisting in the issue of Unique Disability Identity Card (UDID) to divyangjan in the District;
- (ii) Awareness Generation for encouraging and enhancing prevention of disabilities, early detection and intervention as well as maintaining data of organizations working for the empowerment of persons with disabilities in the district etc..
- (iii) Early Intervention and facilitating Insurance Schemes launched by the National Trust/Department for Divyangjan;
- (iv) Assessment of need of assistive devices, provision/fitment of assistive devices, follow up/repair of assistive devices, assisting the ADIP/ALMICO camps for distribution of aids and assistive devices in the district;
- (v) Therapeutic Services e.g. Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech Therapy etc.;
- (vi) Referral and arrangement of surgical correction through Government & Charitable institutes;

- (vii) Arrangement of loans for self employment, through banks & other financial institutions;
- (viii) Counseling of persons with disabilities, their parents & family members;
- (ix) Promotion of barrier free environment and to play an active role in the Accessible India campaign of the department;
- (x) To provide supportive and complimentary services to promote education, assisting students with disabilities for availing Scholarship Schemes of the Department, vocational training/ Skill Training of eligible Divangjan and employment for persons with disabilities through:-
  - (a) Providing orientation training to teachers, community and families,
  - (b) Providing training to persons with disabilities for early motivation and early stimulation for education, vocational training and employment.
  - (c) Identifying suitable vocations for persons with disabilities, keeping in view local resources and designing and providing vocational training and identifying suitable jobs, so as to make them economically independent.
  - (xi) Provide referral services for existing educational training, vocational institutions and to act as Outreach centre for the services provided by the National Institutes and Composite Regional Centres.

### **3. Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:**

List of disabilities notified under the aforesaid Act are at *Annexure I*. Guidelines to determine the percentage of disability are available on the portal of this Department. As per RPwD Act, 2016 all type of disabilities will be covered under DDRCs by including different type of professionals.

#### **4. (i) Identified Districts approved for setting up of DDRCs**

(a) While initially 325 districts had been identified for setting up of DDRCs, but w.e.f. 9<sup>th</sup> December, 2020 all the districts have been approved for setting up of DDRCs under the scheme of the Department. The left wing extremism affected districts notified by the Ministry of Home Affairs is at *Annexure II*.

(b) Each DDRC may also look after and provide rehabilitation services to persons with disabilities of the adjoining/neighborhood district if that district does not have a DDRC.

#### **(ii) Procedure for formation of DDRC:**

##### **(a) Formation of the District Management Team (DMT):**

Each DDRC is to be run under the supervision of a District Management Team headed by the District Collector/District Magistrate and also to include district officials from Social Welfare, Health, Panchayati Raj, Women & Child Welfare Departments, nodal officer from implementing agency and representative from reputed NGOs/ public representatives for better coordination and monitoring. The State Government may notify the constitution of the DMT under the Chairmanship of District Collector. This team will also be the custodian of the assets of the DDRC.

**(b) Important functions of the DMT are as follows:**

- (i) Selection of location of DDRC in close proximity to the DEIC of the Health Department and/or District Medical College/Hospital.
- (ii) Selection of registered implementing agencies
- (iii) Selection/Deployment of Manpower and finalizing their engagement conditions
- (iv) Monitoring, coordination of activities of DDRC,
- (v) Convergence with other activities in the district relating to rehabilitation of Divyangjan.
- (vi) Security of assets of DDRC and material received under ADIP scheme of the Department, if any.
- (vii) The District Management Team may meet once in a month but not less than 4 times in a year.

**(c) Coordination – Nodal officer (DDRO)**

(i) To facilitate better coordination, a nodal officer i.e., District Disability Rehabilitation Officer (DDRO) be identified among the district officials included in the DMT to monitor and coordinate the activities of DDRC.

(ii) DDRO will be responsible for coordination, management and administration of DDRCs on a day to day basis and will be paid honorarium @ Rs. 2000 p.m. ( **20% additional honorarium for special areas**)

**(iii) Identification of suitable Implementing Agency by DMT for running DDRC:**

(a) The **implementing agency** should preferably be

- i) a Red Cross Society

**or**

- ii) any such autonomous /semi-autonomous bodies of State Govt.

**or**

- iii) a reputed NGO with a good track record who should be capable of managing the DDRC right from its inception.

(b) The functional District Red Cross Societies/registered agencies of State Health Department should be given priority over other NGOs. **The DMT through local publicity could call for proposals from the interested registered organizations and then identify the most appropriate among them.**

(c) In addition to the existing mechanism, States may consider to set up a State level body/Society under the extant law to have branches in each district to run the DDRC (as implementing agency) effectively.

**(iv) Accommodation for DDRC:**

(a) **The District authorities should identify and allocate suitable rent-free accommodation for setting up of DDRC. The building should preferably be barrier-free and easily**

**approachable by persons with disabilities (PwDs) in addition to having electricity and water facility. DDRC should preferably be located in the same premises or adjacent to DEIC Centre/Medical College/District (Civil) Hospital for the convenience of PwDs. Minimum space required is 400 sqm approx consisting of at least 7-8 rooms**

**(b)** In case of non-availability of rent free accommodation, suitable premises may be hired on rent as the limit laid down by the DM/District Collector/PwD. The maintenance charges for the premises (rented or otherwise) will be met from the amount prescribed under the contingencies head of the grant.

**(v) Staff for DDRC:**

**(a) Implementing agency of DDRC to engage staff on contract.** Each DDRC may have a maximum of **15 staff members** having specified qualifications, who are paid fixed honorarium as per prescribed norms. The rehabilitation professionals which have RCI as Nodal Registration agency should be registered with Rehabilitation Council of India (RCI). **The Scheme does not envisage creation of permanent posts and hence, the Department of Empowerment of Persons with Disability, MSJE, Government of India shall not be held liable to any recruitment, appointment, honorarium and removal related issues. These will be the sole responsibility of the DMT.** Staff has to be appointed on honorarium/contractual basis by the Implementing Agency/DMT as far as possible through the local resources in order of priority:-

(i) Existing professionals of Government/District hospitals on honorary basis

(ii) Existing professionals of Government/District hospitals on payment of token honorarium

(iii) Professionals and others on purely contractual basis.

**(b)** The District Management Team (DMT) is authorized to adopt any of the above options as per the requirement as well as to recommend amount of token honorarium as per norms of the State Government.

**(c)** The State Government may suitably supplement the honorarium and other requirements of the DDRCs for undertaking their various activities in an effective manner. State Government needs to issue necessary instructions and guidelines to the DMT regarding advance action, so that personnel are appointed as soon as the DDRC is sanctioned

**(vi) Admissible manpower, amount of Honorarium and admissible grant**

**(a)** Each DDRC may have the following manpower with fixed honorarium and predetermined qualifications to be engaged on contract basis. The rehabilitation professionals which have RCI as Nodal Registration agency should be registered with Rehabilitation Council of India (RCI). The service conditions of the staff of the DDRC will be the responsibility of the Implementing Agency and not of the central Government.

**(b)** Professionals can be appointed on per visit basis as per requirement but it is mandatory to appoint at least 4 professionals/rehabilitators.

**(c)** The posts and qualifications required for the Professionals are as under:

S. No	Posts & qualifications	Honorarium (in Rs)	20% higher amount of honorarium for DDRCs in the specified areas/States as per
-------	------------------------	-----------------------	--

			<b>note below.</b>
1	<p><b><u>Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist</u></b></p> <p><b>Clinical Psychologist</b>  a. M. Phil. Clinical Psychology  b. Professional Diploma in Clinical Psychology</p> <p><b>Rehabilitation Psychologist</b>  a. M.Phil. Rehabilitation Psychology  b. Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (PGDRP)</p>	20500/850(per visit)	24600/ 1020 (per visit)
2	<p><b><u>Sr. Physiotherapist / Occupational Therapist</u></b>  <b>Physiotherapist:</b> 01 mandatory  Qualification: BPT</p> <p><b>Occupational Therapist:</b> 01 mandatory  Qualification: BOT</p> <p>Justification: Both PT and OT streams are entirely 2 different disciplines and have very significant &amp; separate roles in disability rehabilitation.</p>	20500/850(per visit)	24600/1020 (per visit)
3	<p><b><u>Sr. Prosthetist / Orthotist (OH category)</u></b>  Qualification: Bachelor in Prosthetics and Orthotics (BPO) from any Institute recognized by RCI</p>	20500/850(per visit)	24600/1020 (per visit)
4	<p><b><u>Prosthetist/Orthotist Technician</u></b>  Eligibility:  Diploma in P&amp;O or Certificate in P&amp;O with 3 years' experience</p>	14500	17400
5	<p><b><u>Audiologist &amp; Sr. Speech Therapist</u></b>  Eligibility: Bachelors in Audiology and Speech &amp; Language Pathology (BASLP) or B.Sc. Speech &amp; Hearing</p>	20500/850 (per visit)	24600/1020 (per visit)
6	<p><b><u>Hearing Assistant/ Jr.</u></b></p>	14500	17400

	<p><b><u>SpeechTherapist</u></b> Diploma in Speech &amp; Hearing with knowledge of hearing aids repair/ear-mould making</p> <p><b><u>Speech &amp; Hearing Technician</u></b> Eligibility: Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS)</p> <p><b><u>Ear-Mould Technician</u></b> Eligibility: Diploma in Hearing Aid Repair and Ear Mould Technology (DHAREMT)</p>		
7.	<p><b><u>Mobility Instructor</u></b> Matriculation &amp; Certificate/ Diploma in Mobility Eligibility: Preferably Bachelor in Mobility Science (B.M.Sc.) or D.Ed.Spl.Ed./B.Ed.Spl.Ed. in Visual Impairment</p>	14500	17400
8.	<p><b><u>Multi-Purpose Rehabilitation Worker</u></b> Eligibility: Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR)/ Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) / Community Based Inclusive Development (CBID)/MRW</p>	14500	17400
9.	<p><b><u>Accountant cum Clerk cum Storekeeper</u></b> B.Com/SAS with 2 years' experience</p>	14500	17400
10	<p><b><u>Attendance cum Peon cum Messenger</u></b> Class VIII pass</p>	9500	11400
11	<p><b><u>Vocational Counsellor cum Computer Assistant</u></b> Eligibility: Diploma in Vocational Rehabilitation (DVR) / Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling (ADCGC) / Bachelor of Rehabilitation Science (B.R.Sc.)</p>	14500	17400
12	<p><b><u>Early Intervention Therapist</u></b> Eligibility: PGDDT / PGDEI / BMR / BRSc / BRT / MRSc / MSc-EI</p>	14500	17400

13	<b><u>Trans-Disciplinary Special Educator</u></b> <b>(02 numbers)</b>  Eligibility for the two positions: (1) DEdSE / BEdSE in Hearing Impairment (2) DEdSE / BEdSE in VI/ID/CP/ASD/ MD/Db/SLD	14500	17400
14	<b><u>Caregiver</u></b>  Eligibility: CCCG-RCI / CCCG-National Trust or Class VIII passed with 3 years' experience in caregiving of PwD	6250	7500

**Note:-**

- (a) Honoraria to the rehabilitation professionals of DDRCs located in North-Eastern States, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Puducherry, Daman & Diu, Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh, Utrakhand, Left Wing Extremism affected areas as well as the districts of any State adjoining the international borders of the country shall be entitled to 20% more than the honoraria prescribed in respect of the DDRCs of the rest of the country.
- (b) The DDRCs are proposed to be set up in identified districts where it may be difficult to find staff with matching qualification initially. Hence, in case qualified rehabilitation professionals are not available for a while, until such professionals become available, DMT may recruit persons having lower qualification after satisfying themselves that the manpower will be able to provide the required services for which they are being recruited due to their experience in the field. However, non technical persons should not be appointed against technical manpower.
- (c) DDRO/Nodal officer (One of the district officials included in the DMT to monitor & coordinate the activities of the DDRC) will be given Rs. 2000/- p.m. as honorarium (20% additional honorarium for special areas).

**5 (i) Admissible grant in aid**

The break-up of recurring and non-recurring expenditure in respect of One DDRC under the DDRC is as follows: *(Rupees in lakhs)*

Items	Grant-in-Aid per annum	For special States/areas -20% additional
Total Honorarium	27.630	33.156
Office Expenses/contingencies	05.250	05.250
Equipments (for 1 <sup>st</sup> year or after 5	20.000	20.000

year)		
<b>Total for 1<sup>st</sup> year</b>	<b>52.880</b>	<b>58.406</b>

**Note:-From 2<sup>nd</sup> year onwards only honorarium and office expenses/contingency will be provided with same rate.**

**(ii) Funding arrangement under the scheme**

**DDRCs would be funded under DDRS. Offline proposals may continue to be submitted/accepted till a separate arrangement in respect of DDRCs is made on e-Anudaan portal.**

All those DDRCs whose proposal is not received in the Department for 2 consecutive financial years may be considered as non-functional and grant-in-aid for such DDRCs may be stopped after completing necessary procedure with the approval of competent authority.

**Grant-in-aid to DDRCs shall be released on REIMBURSEMENT basis.** In a financial year, grant-in-aid in favor of the grant proposal of the same year can be released on reimbursement basis as follows:-

(a) Up to 50% of the admissible grant-in-aid can be released upon production of the half yearly audited accounts by the implementing agencies. Balance amount of grant-in-aid shall be released after submission of the audited accounts for the complete Financial Year by the implementing agencies.

or

(b) Up to 75% of the admissible grant-in-aid can be released upon production of the Nine-monthly audited accounts by the implementing agencies. Balance amount of grant-in-aid shall be released after submission of the audited accounts for the complete Financial Year by the implementing agencies.

or

(c) Up to 100% of the admissible grant-in-aid can be released upon production of the annual audited accounts during the next financial year reflecting expenditure incurred by the implementing agencies.

**(iii) Submission of Proposal for grant in aid**

Proposal for grant-in-aid, complete in all respect as per guidelines of the scheme, may be sent by the District Magistrate/Collector with the recommendation to the concerned State Government/UT Administration which may onward be submitted to this Department by the State Government/UT Administration along with its recommendation with full justification. Checklist for submission of mandatory documents include, inter-alia, the following:-

- a) Recommendation of the DM/State Government
- b) Registration Certificate of the implementing agency under Societies Registration Act or any other relevant Act
- c) Registration Certificate under PwD/RPwD Act
- d) Memorandum of Association
- e) Inspection Report of the of the implementing agency/DDRC
- f) Details of District Management Team/ Managing Committee of the implementing agencies
- g) Details of staff along with qualification certificate
- h) Audited accounts of the implementing agency/DDRC, Consolidated audited accounts of the implementing agency, Audited Item-wise/Post-wise expenditure statement
- i) Annual Report/Performance Report of the of the implementing agency/DDRC
- j) Utilization Certificate of previously released Grant-in-aid
- k) Bank details, Bond etc.

**(iv) Norms relating to financial management**

All transactions/payments under all Central Sector Schemes will be covered under Public Financial Management System (PFMS). **All the NGOs/VOs seeking Grant-in-Aid have to mandatorily use Expenditure, Advance and Transfer (EAT) module of PFMS for disbursing funds received from Government of India and keep it updated.**

- (a) The Implementing Agencies of DDRCs seeking Grant-in-Aid under the scheme must register themselves in the NITI Aayog portal (NGO-Darpan) portal and obtain the Unique ID of NGO-Darpan before applying for Grant under the scheme.
- (b) In addition to the existing guidelines/procedures, any other guideline, instruction which may be issued subsequently including clarification or simplification, addition or deletion shall be incorporated in the scheme by the department with the approval of Secretary of the Department.

**(v) Financial arrangements to be followed by DDRC**

**(a) Maintenance of Project Accounts by DDRC**

Funding of honorarium to staff members of the DDRC and the requisite equipment for the DDRC is provided under the DDRC Scheme only. Materials for fabrication and aids and appliances funds are provided under ADIP scheme, therefore, separate accounts be maintained and submitted with the respective proposals.

**(b) Opening of Bank account in the name of DDRC**

A bank account in the name of DDRC to be opened and to be **operated jointly** by an *Officer nominated by District Magistrate/Collector from the DMT and the other official authorized by the implementing agency for the receipt of grants and meeting expenditure.* The decision in this regard could be taken by DMT, based on the implementing agency identified for DDRCs.

**(c) Maintenance of accounts**

Proper account for the expenditure on supporting activities will be maintained by each implementing agency *under the overall guidance & supervision of DDRO.* In addition to the procedures already being followed for suitable account keeping, it must be ensured that each implementing agency will maintain a separate account for each of their DDRC. Nodal officers in each of the districts will submit half-yearly accounts on programme activities to the Department.

- (d)** Proposal for grant in aid shall be submitted/accepted offline till there is separate provision on e-Anudaan portal is made in respect of the project under DDRC Scheme.

**6. POWER TO RELAX NORMS**

**The Department reserves the right to adopt parameters below the ceiling norms where there is justification to do so. These parameters can also be considered for relaxation with the approval of Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) in exceptional and deserving cases in general and particularly in the case of project proposals from North East Region including Sikkim, States in Himalayan Region, Left Wing Extremism affected areas, border districts, or regions as affected by natural calamities, provided the Department is satisfied that there are reasonable and valid grounds for doing so. The decision of the Department in this regard shall be final.**

**7. (i) Role of State Government**

- (a)** State Governments are expected to play a more pro-active role in the effective working of DDRCs. In order to ensure greater involvement of State/District Administration, the State Government may suitably supplement the honorarium and other requirements of the DDRCs for undertaking their various activities in an effective manner.
- (b)** State Governments may authorize District Collectors in their capacity as Chairperson of DMT, to make minor modifications for effective functioning of DDRCs, considering the ground realities within the broad stipulation of the DDRC Scheme.
- (c)** State Government may also authorize the District Collectors to make interim advances out of the local funds placed at their disposal to tide over the difficulties caused in the field due to procedural delays in release of central funds.
- (d)** In addition to the existing mechanism, States may also consider to set up a State level body/Society under the extant law to have branches in each district to run the DDRC (as implementing agency) effectively.

**(ii) Role of ALIMCO and National Institutes of the Department- Equipments/Training of manpower**

**a) Equipments required for functional DDRC**

The equipment for fabrication and fitment of assistive devices related to all kind of disabilities is to be purchased as provided under the equipment head of the scheme. These equipments will range from electric oven, workshop anvil, physiotherapy equipments, clinical audiometer, speech trainer, workshop tools and some teaching material for the ID children, office equipment including equipment needed for the UDID project. The total equipment grant will be up to Rs.20.00 lakhs per DDRC in the first year only and further revision if any may be considered after 5 years. Details of equipments are listed at Annexure V.

These equipments may be procured from the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), Lucknow Road, Kanpur – a Central Public Sector Enterprise under the Department. In case ALIMCO is not in a position to procure/provide, the procurement of equipment may be done by the Implementing Agency under the supervision of the DMT as per procedure prescribed under provisions of General Financial Rules.

**b) Raw Materials for fabrication of aids & assistive devices as well as prescribed appliances – for persons with disabilities**

The assistive devices and the material for fabrication of aids and appliances shall be supplied under the ADIP scheme of the Department.

The DDRC should annually submit the proposals to the State Government/UTs in the prescribed proforma along with utilization certificate, audited statement of expenditure, list of beneficiaries, details of aids and *appliances procured, or distributed among persons with disabilities* and calendar of activities through District Collector for availing grants under this scheme.

c) Repair/follow up of assistive devices/aids is to be done by DDRCs. In case any assistance/training required then it should be provided by ALIMCO/NIs.

**(iii) Role of National Institutes/Composite Regional Centres (as per states allocated to them)**

(a) Training to Manpower of DDRCs, State Social Welfare department officials dealing with disability in Coordination with State Govt. /District authorities/DDRC.

(b) National Institutes to draw annual training calendar with course module and submit the same to the Department for approval.

(c) The staff of the Implementing Agency of DDRCs will be provided orientation and training though National Institutes (NIs) for capacity building so as to enable them to initiate activities as per the approved action plan.

(d) National Institutes shall undertake the following training programmes in coordination with State /District / DDRC authorities:

(i) One day workshop of District Collectors & State government officials –

Sensitization to disabilities issues, *Main Provisions of PWD Act*, DDRC scheme and effective delivery through them, sharing of *best practices*.

(ii) 3 day training for Nodal officers of Implementing agency & Social welfare officers –

DDRC Scheme, processing of proposals under ADIP, DDRS etc, maintenance of accounts and other records, facilities, concessions & Schemes for *Persons with Disabilities* & and important referral addresses

(iii) Up to 15 days *in-service* training for technical and professional manpower in DDRCs – focus especially on early intervention and follow up, New techniques of treatment & rehabilitation

(iv) Special courses for *in-service* training – Courses which include bridge courses for under-qualified manpower of DDRCs-for 6 months to 1 year sandwich programmes

- Workshop on communication skills and preparation of educative material
- Repairs & maintenance of aids & appliances for Technical staff, multipurpose workers
- Exposure visits to Composite Regional Centres (CRC)/ National Institutes and DDRCs doing good work which can be showcased as best practices.

(e) The training programmes would range from one to three day sensitization workshops to one week to 15 days refresher training to 1 year sandwich courses for improving the skills of under qualified manpower in DDRCs, while the participants could vary from Senior Government officials like Secretary/Directors/District Collectors to District welfare officers/nodal officer to professionals and other manpower deployed in DDRCs.

(f) The cost for training of manpower of DDRC would broadly be based as follows:

- Travel, boarding lodging expenditure in respect of DDRC manpower deputed for training will be met from the contingency head of the grant in aid released to DDRC while the training cost will be met by the concerned National Institutes.
  
- Within the broad framework of the DDRC Scheme, DDRCs run by NGOs as implementing agency shall be free in the matter of manpower selection as per the provision of the scheme under the overall supervision of the District Management Team. In addition, minor modification in the conditions prescribed under the Scheme is also permissible in consultation with the Department to increase State ownership, effective functioning and streamlining the processing of grants-in-aid to DDRCs under State/District authorities).

## **8. Action plan of DDRCs**

Action plan of DDRCs should broadly be as follows

- (a) Survey of the *PwDs* and their needs in the districts-10-15 villages per month
- (b) Assessment camps at HQ/at Civil hospital periodically;
- (c) Assessment cum distribution camps at block at periodical intervals

(d) Awareness generation activities like visits to school/awareness camp in villages for various target groups/training programme of grass root level functionaries at periodical intervals

(e) Follow up camps in villages/blocks at periodical intervals

### 9(a) Survey of persons with disabilities

For initial planning, the details of district data on disabilities, if available, could be transferred to DDRCs viz data could be available with anganwadi workers/other grassroots level workers *like ASHA* about the persons with disability in each village. The implementing agency should use its discretion in selecting the best possible arrangement for collection of data.

### (b) Assessment/Fitment/Follow-up and repair of assistive devices

#### Assessment/Fitment

Actual fitment of assistive devices would be one of the major activities of District Centre. A blend of camp approach and institutional approach should be used in fitment of assistive devices. The expenditure on materials/assistive devices should be met out of ADIP Scheme. The implementing agency would be responsible for *making* adequate arrangements and following proper procedure in account keeping, as per the ADIP Scheme. Following points may be noted for its implementation:

- The implementing agency *must* ensure precise assessment on the requirement of assistive devices:
- While the implementing agency provides the technical inputs, the organizational and logistics
- All persons with disabilities should be assessed on the number and type of assistive devices required.
- Assessment may be done both on continuous basis through DDRC and at discreet points of time through the camp approach.
- This should be done in collaboration with Anganwadi Workers (AWWs), Health Workers, *Parateachers* NREGA, Panchayati Raj Institutions, Local NGOs and other grass-root level functionaries.
- The implementing agency must ensure through rigorous *follow-up* of persons provided *with* assistive devices *their proper & early repair*.
- The district centre should provide for repair services, adjustment and *follow-up* of assistive devices. A nominal charge for repair of assistive devices should be charged, which can be different for different devices and types of repair.
- Persons with disabilities, who are provided assistive devices, should be categorically informed of the follow up/repair/training services available at the district centres.

- *PwDs* may also be provided training for effective & correct use of assistive devices and therapeutic services. They may also be given instructions in local language in the form of a pamphlet having sketches/pictures for use and upkeep of the device(s).
- *Assistance should be provided by ALIMCO/NIs in training the repairing staff of DDRC.*

**(c) Promotion of Prevention**

Prevention has been promoted through various National Health Programmes like programmes of Prevention of Blindness, Leprosy etc. as well as various *Routine* Immunization programmes like Pulse Polio *etc.* The orientation of these programmes needs to focus not only on prevention of mortality, but also on disability. The District Centres, therefore, need to modify the information dissemination on prevention to emphasize the linkage between Health Programmes & Schemes and prevention of disability. Another important aspect of prevention of disability that needs to be disseminated through the District Centre is environmental sanitation and hygienic living conditions.

The District Centres need to collect and collate the information relating to different aspects of prevention of disabilities and disseminate information in the most suitable form and mode, depending on local conditions.

The District Centres should, therefore, promote prevention by doing the following:

- Converge the activities of AWWs, Health Workers, NGOs in promoting prevention;
- Distribute and publicize the information available with the implementing agencies on prevention and early intervention in local language.
- The implementing agency may undertake orientation of the grassroots level workers including ICDS workers, Health Workers, CBRWs with a focus on identification, prevention and early detection.
- The District Disability Rehabilitation Centre set up and functioning in the areas having high incidence of Japanese Encephalitis (JE)/Acute Encephalitis (AES) must have Multiple Disability Component from the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, M/o Social Justice & Empowerment, East Road, Mullukadu, Kancheepuram, Tamil Nadu.

**(d) Early Intervention**

Early identification of disabilities and early intervention is very important for avoiding secondary disabilities and ensuring successful integration of children with disabilities *with other children at all levels.* Hence each DDRC must set up an early intervention unit. Parents of children with disabilities must be encouraged to visit these. In addition, low cost intervention using locally available material should be suggested to them for continuing the intervention at place of their residence.

**(e) Barrier Free Environment**

- Provision of barrier free environment is the second important compliment of assistive devices for providing accessibility to persons with disabilities;
- All new buildings, especially public sector and public utility e.g. schools and hostels, Panchayat and other Government buildings, hospitals, markets, bus stands, parks, public toilets are to be made barrier free, as per the Harmonic standard bye-laws circulated by Ministry of Housing and Urban Affairs.
- The basic responsibility should be of the local governments.
- Public buildings like Collectorate, District hospital, local bus stand, colleges and schools should be converted into barrier free, to begin with.
- The financial support for Conversion of the buildings into barrier free may be met out of local government funds and/or MPLADS.
- *District Centres must be able to provide technical support to implementing agencies.*

**(f). Promoting Education/Vocational Training/Placement**

Education, training and employment are important components of rehabilitation.

- The implementing agency should organize orientation-training programme for teachers/communities/families.
- They may also provide information on suitable vocations, possible job placements and other facilities like soft credit through NHFDC, vocational training through VRCs etc.
- At least one orientation programme of 3 days to a week should be held once in 6 months.

**10. Performance reports**

- Monitoring & Evaluation of the implementation of the programme would be done in terms of the activities enlisted above and the targets laid down for them.
- Annual Performance Report (as per proforma at **Annexure VII**) with action plan for the next financial year be sent to the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Min. of SJ&E,
- Ministry may get functioning of these District Centres evaluated by external agency on sample basis every year.
- Each Implementing Agency receiving grant under DDRC shall have to submit documents as asked by the CPMU or Department quarterly for effective monitoring like Bio-metric attendance report of staff, CCTV footage, etc.

**Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:**

**1. Physical disability.—**

**A. Locomotor disability** (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "**leprosy cured person**" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly;

(b) "**cerebral palsy**" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "**dwarfism**" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "**muscular dystrophy**" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "**acid attack victims**" means a person disfigured due to violent assault by throwing of acid or similar corrosive substance.

**B. Visual impairment—**

(a) "**blindness**" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "**low-vision**" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

### C. Hearing impairment—

- (a) "**deaf**" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;
- (b) "**hard of hearing**" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "**speech and language disability**" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. **Intellectual disability**, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

- (a) "**specific learning disabilities**" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
- (b) "**autism spectrum disorder**" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

### 3. Mental behaviour,—

"**mental illness**" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub-normality of intelligence.

### 4. Disability caused due to—

- (a) **chronic neurological conditions**, such as—

- (i) "**multiple sclerosis**" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
- (ii) "**parkinson's disease**" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

**(c) Blood disorder—**

- (i) "**haemophilia**" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;
- (ii) "**thalassemia**" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.
- (iii) "**sickle cell disease**" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

**5. Multiple Disabilities** (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

**6. Any other category as may be notified by the Central Government.**

As on 05.02.2019, 90 districts in 11 States have been identified by the Government of India as Left Wing Extremism (LWE) affected districts in the country, as per list below:

<p><b><u>Andhra Pradesh</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>East Godavari</u></li> <li>2. <u>Guntur</u></li> <li>3. <u>Srikakulam</u></li> <li>4. <u>Visakhapatnam</u></li> <li>5. <u>Vizianagaram</u></li> <li>6. <u>West Godavari</u></li> </ol> <p><b><u>Telangana</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <u>Adilabad</u></li> <li>8. <u>Bhadradi-Kothagudem</u></li> <li>9. <u>Jayashanker-Bhupalpally</u></li> <li>10. <u>Khammam</u></li> <li>11. <u>Komaram-Bheem</u></li> <li>12. <u>Mancherial</u></li> <li>13. <u>Peddapalle</u></li> <li>14. <u>Warangal Rural</u></li> </ol> <p><b><u>Bihar</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. <u>Arwal</u></li> <li>16. <u>Aurangabad</u></li> <li>17. <u>Banka</u></li> <li>18. <u>East Champaran</u></li> <li>19. <u>Gaya</u></li> <li>20. <u>Jamui</u></li> <li>21. <u>Jehanabad</u></li> <li>22. <u>Kaimur</u></li> <li>23. <u>Lakhisarai</u></li> <li>24. <u>Munger</u></li> <li>25. <u>Muzaffarpur</u></li> <li>26. <u>Nalanda</u></li> <li>27. <u>Nawada</u></li> <li>28. <u>Rohtas</u></li> <li>29. <u>Vaishali</u></li> <li>30. <u>West Champaran</u></li> </ol> <p><b><u>Chhattisgarh</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>31. <u>Balod</u></li> <li>32. <u>Balrampur</u></li> <li>33. <u>Bastar</u></li> <li>34. <u>Bijapur</u></li> <li>35. <u>Dantewada</u></li> <li>36. <u>Dhamtari</u></li> <li>37. <u>Kanker</u></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>38. <u>Narayanpur</u></li> <li>39. <u>Rajnandgaon</u></li> <li>40. <u>Dhamtari</u></li> <li>41. <u>Mahasamund</u></li> <li>42. <u>Gariyaband</u></li> <li>43. <u>Sukma</u></li> <li>44. <u>Kondagaon</u></li> </ol> <p><b><u>Jharkhand</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>45. <u>Bokaro</u></li> <li>46. <u>Chatra</u></li> <li>47. <u>Dhanbad</u></li> <li>48. <u>Dumka</u></li> <li>49. <u>East Singhbhum</u></li> <li>50. <u>Garhwa</u></li> <li>51. <u>Giridih</u></li> <li>52. <u>Gumla</u></li> <li>53. <u>Hazaribagh</u></li> <li>54. <u>Khunti</u></li> <li>55. <u>Koderma</u></li> <li>56. <u>Latehar</u></li> <li>57. <u>Lohardagga</u></li> <li>58. <u>Palamu</u></li> <li>59. <u>Ramgarh</u></li> <li>60. <u>Ranchi</u></li> <li>61. <u>Simdega</u></li> <li>62. <u>Saraikela-Kharaswan</u></li> <li>63. <u>West Singhbhum</u></li> </ol> <p><b><u>Kerala</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>64. <u>Malappuram</u></li> <li>65. <u>Palakkad</u></li> <li>66. <u>Wayanad</u></li> </ol> <p><b><u>Madhya Pradesh</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>67. <u>Balaghat</u></li> <li>68. <u>Mandla</u></li> </ol> <p><b><u>Maharashtra</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>69. <u>Chandrapur</u></li> <li>70. <u>Gadchiroli</u></li> <li>71. <u>Gondia</u></li> </ol>	<p><b><u>Odisha</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>72. <u>Angul</u></li> <li>73. <u>Bargarh</u></li> <li>74. <u>Bolangir</u></li> <li>75. <u>Boudh</u></li> <li>76. <u>Deogarh</u></li> <li>77. <u>Kalahandi</u></li> <li>78. <u>Kandhamal</u></li> <li>79. <u>Koraput</u></li> <li>80. <u>Malkangiri</u></li> <li>81. <u>Nabrangpur</u></li> <li>82. <u>Nayagarh</u></li> <li>83. <u>Nuapada</u></li> <li>84. <u>Rayagada</u></li> <li>85. <u>Sambhalpur</u></li> <li>86. <u>Sundargarh</u></li> </ol> <p><b><u>Uttar Pradesh</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>87. <u>Chandauli</u></li> <li>88. <u>Mirzapur</u></li> <li>89. <u>Sonebhadra</u></li> </ol> <p><b><u>West Bengal</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>90. <u>Jhargram</u></li> </ol>
--	---	--

Note:- This list would be as updated on 05.02.2019.

Application form for grant-in-aid proposal for the first year for setting up of  
District Disability Rehabilitation Centre in the identified and approved district in  
the State

1. Unique ID Number allotted on the Darpan Portal of the Niti Aayog .....  
(If not already registered then register at <http://ngodarpan.gov.in>)
  
2. Name of the State and District where DDRC is to be set up/functioning :.....
  
3. (a) Whether District Management Team formed: Yes/No  
(b) If yes, please attach orders constituting DMT: Attached  
(c) Last meeting of the DMT held on  
(d) Whether copy of minutes of DMT meeting attached- Attached
  
4. (a) Whether suitable Implementing Agency Identified: Yes/No  
(b) Details of the Implementing agency:
  - (i) Name of the Agency
  - (ii) Address
  - (iii) Telephone/Fax No.
  - (iv) E-mail ID
  - (v) PAN/TIN/TAN No. (any one) of IA
  
5. Whether the agency is registered: Yes/No  
(a) If yes, the Name of the Act under which registered:  
(b) Registration No. and date of registration  
(c) Whether the agency has a valid PWD Certificate: (*Attested Copy be enclosed*)
  
6. Memorandum of Association & Bye Laws of the Agency (*Please attach copy*):

7. Details of accommodation for the DDRC:
  - (a) Proposed location of the DDRC building:
  - (b) Whether building is owned by State Government or rented:
  - (c) Built up Area:
  - (d) No. of rooms:
  - (e) Will the accommodation be used exclusively for this programme:
  - (f) Whether the building is barrier free:
  - (g) Whether easily approachable for the persons with disabilities:
  - (h) Whether adequate water and electricity facilities are available:
8. (a) Whether steps for manpower deployment initiated:
  - (b) If so, details:
9. Whether Saving Bank Account in the name of DDRC to be operated jointly opened: Yes/No
10. Bank authorization letter in prescribed format (**Annexure-IV**) giving details
  - (i) of bank branch,
  - (ii) IFSC code,
  - (iii) MICR Code
  - (iv) Other details of Payee' particular like address, e-mail address, etc.
11. To submit Indemnity Bond (as per format **at Annexure VI**):

Authorised signatory of the Implementing Agency of the DDRC

Recommendation of the DM

( \_\_\_\_\_ )

DM of the District/

Social Welfare Department of the State

Annexure III(b)

**Application form for grant-in-aid proposal for the 2nd year onwards grant  
for District Disability Rehabilitation Centre already set up/functioning**

1. Unique ID Number allotted on the Darpan Portal of the Niti Aayog .....  
(If not already registered then register at <http://ngodarpan.gov.in>)
  
2. Name of the State and District where DDRC is functioning : .....
  
3. (a) Whether District Management Team formed : Yes/No  
(b) Last meeting of the DMT held on :  
(c) Whether copy of minutes of DMT meeting attached- Attached
  
4. Details of the Implementing agency :
  - (a) Name of the Agency
  - (b) Address
  - (c) Telephone/Fax No.
  - (d) E-mail ID
  - (e) PAN/TIN/TAN No. (any one) of IA
  
5. Whether the agency is registered: Yes/No
  - (a) If yes, the Name of the Act under which registered:
  - (b) Registration No. and date of registration
  - (c) Whether the agency has a valid PWD Certificate: (*Attested Copy be enclosed*)
  
6. Memorandum of Association & Bye Laws of the Agency (*Please attach copy*):
  
7. Details of accommodation for the DDRC:
  - (a) Location of the DDRC building:
  - (b) Whether building is owned by State Government or rented:
  - (c) Built up Area:
  - (d) No. of rooms:
  - (e) Will the accommodation be used exclusively for this programme:
  - (f) Whether the building is barrier free:
  - (g) Whether easily approachable for the persons with disabilities:
  - (h) Whether adequate water and electricity facilities are available:

8. Whether Saving Bank Account in the name of DDRC to be operated jointly opened: Yes/No
9. Bank authorization letter in prescribed format (**Annexure-IV**) giving details
  - (i) of bank branch,
  - (ii) IFSC code,
  - (iii) MICR Code
  - (iv) Other details of Payee' particular like address, e-mail address, etc.
10. Details of last grant received by the DDRC

Sr. No.	Grant in Aid for Financial Year	Sanction Letter and date	Amount	Utilisation certificate (Proforma at <b>Annexure VI (a)</b> / Audited Accounts by CA Submitted

11. To submit Indemnity Bond (as per format at **Annexure VI**):

**12 Details of funds available, utilized, and grants in aid sought**

Sub Head	Opening balance for the financial year	Grants received during the financial year	Total grants for the financial year	Expenditure till the beginning of the half year	Expenditure during half year	Total expenditure during the financial year	Requirement of grants for the balance period
Equipments							
Honorarium							
Travel							
Contingencies							

**13** To enclose copy of the performance report in respect of the previous year (copy as at **Annexure VII**).

**14** Staff appointed under DDRC :

S. No.	Name	Qualification	Nature of appointment Contractual/ Honorarium /Honorary	Date of appointment	Designation	Aadhaar Card No. of the official	Amount of Honorarium

**15** Details Funds generated/received from other sources if any.

Source of fund	Till the Quarter of the current financial year	During the Quarter	Total during the financial year
Through Registration			
Donation			
Service Charges			
Others (Pl. specify)			

Authorised signatory of the Implementing Agency of the DDRC

Recommendation of the DM

(\_\_\_\_\_)

DM of the District/  
Social Welfare Department of the State

**Authorization Letter for sending Grants-in-aid/Funds directly into the Bank Accounts of the Organization**

I/We ..... (name of the entity/Society/Organization) would like to receive the grants-in-aid disbursed by the Union

Ministry of Social Justice & Empowerment directly into the bank account of the society/institution/ organization etc.

through electronic mode of transfer. The particulars are as under:

Payee Particulars							Bank details						
Name of the Payee in bank account	Address	District	PIN Code	State	Mobile No. (as stated in NGO-Darpanportal)	Email Address (as stated in NGO-Darpanportal)	Name of the Bank	Bank Branch (Full address and Telephone No.)	Bank account No.	Account Type	Mode of Electronic Transfer available	IFSC Code	MICR Code
Account has been verified by me  (Manager) (Bank Branch maintaining the account) (Seal)							Name of the organisation:..... Registration No. and date:...../Authority and place of Registration:..... Registration No. and date under RPwD Act:..... Unique ID of NGO-Darpan:..... TIN/TAN/PAN No. (PAN number mandatory):..... I certify that information provided above is consistent with the information provided by the organisation on the NGO-Darpan portal as well Authorized signatory of the organisation:.....(name).....(signature)						

## Equipment for different categories of disabilities for a DDRC

### 1. Department of Physiotherapy

	Name of the Equipment	Quantity
	Shortwave Diathermy-Continuous – Both	1
	Motorized intermittent cervical & Lumber traction unit	1
	Weight machine	1
	Static Cycle-Upper & Lower both	1
	1. Paraffin Wax Unit – Baine Marie Concept (30Kg-Capacity) with 30kg Paraffin Wax	1
	Moist heat unit (Hydroculator)-With 8 Imported Packs	1
	Electrical Stimulator – LCD/Duel Channel	1
	Interferential Therapy Unit – LCD	1
	Laser Therapy – 200mw /2 Probes	1
	Shoulder Wheel – Magnetic /LCD	1
	Cold Pack Unit – 12 Variable Cold Gel Packs	1
	Contrast Bath	1
	Ultrasound Unit – 1 & 3 MHz/LCD	1
	Overhead Pulley	1
	Ankle Exerciser	1
	Pronator Supinator Unit	1

### 2. D/o Occupational Therapy Equipments

	Name of the Equipment	Quantity
--	-----------------------	----------

	Shoulder wheel	1
	Inclined sanding unit	1
	Horizontal Sanding Unit	1
	Vertical Sanding Unit	1
	Therapy ball / Physio ball (with pump) (45 cm diameter)	1
	Therapy ball / Physio ball (75 cm diameter)	
	Wedge	1
	CP chair	1
	Corner chair	1
	Bolster (Diameter 40cm x 120cm long)	1
	Multi-activity workstation	1
	ADL board (Buttoning-Unbuttoning board)	1
	ADL board (latch, lock and key board)	1
	Rowing machine	1
	Quadriiceps exercise table	1
	Gym kit box	1
	Mushroom peg board	1
	Weighted peg board	1

	Grip exerciser	1
	Supinator-pronator board	1
	Pyramids	1
	Pronator-supinator device (wall mounted)	1
	Weighted cuffs	2 pairs
	Rope and pulley	1
	Ankle exercise (unilateral)	1
	Medicine ball	1
	Postural training mirror (with frame)	1
	Foot rocker board	1
	Wrist roller	1

**3. D/o Prosthetics & Orthotics**

	<b>List of Equipments for O.H.</b>	<b>Quantity</b>
	Drill Machine	1
	Bench Grinder with all accessories complete	1

	Electric oven	1
	Super carver kit	1
	Jig Saw (Bosh)	1
	Apparatus Sewing Machine (Electric Driver)	1
	Leather Sewing Machine (Electric Driver)	1
	Bench Vice 6" and 4"	4
	Anvil (50 Kg & 20 Kg)	2
	Misc. Hand tools for orthotic section	2
	Misc. Hand tools for Prosthetic section	2
	Misc. Hand tools for leather padding and shoe	2
	Work tables 6 x 3 x 32"	2
	Measurement table 7 x 2-1/2x32"	1
	Fabrication	1
	<b>Total</b>	

#### 4. Equipments for Cerebral Palsy/Chronic Neurological Conditions

	Name of the equipment	Quantity
	Treatment of the equipment	1
	Prone Wedge	2
	Bolster	1
	Standing Frame	1
	Prone Crawler	1
	Reciprocal Walker	1
	Parallel bar (Small Size)	1
	Elbow Crutches (Large)	4
	Elbow Crutches (Small)	4
	Bean Bag	1

	ADL Training Board Dummy Electric	1
	ADL Training Board Diff. Doors	1
	Dressing Frames (Set)	3
	Door Latch Frame Set	1
	ADL Training: Board – Mech. Activities	1
	Cloth Clips	1
	Dummies for Dressing Skills, Combing activities	1 Set
	Garment with different size buttons	3
	Toys to train shoe lacing	2
	Rocker bottom knife	2
	Swivel spoon, adapted handles with utensils (Detachable)	2
	Pen holder	2
	Reachers	2
	Plate Guard	2
	Adaptive & Assistive Devices kit	2
	Peg Boards	1
	Pop Beads	1
	Clay Dough	1 box
	Little Bigger Blocks	1
	Coin Box (Hundi)	2
	Soft Ball	5
	Hand Exerciser	1
	Coordination Electronic Board	1
	Magnetic Peg Board	1
	Little Bigger Blocks (For Improving Mass Grasp For Stroke Patient)	1
	Continuous Passive Movement (U/E) (CPM)	1
	Checker Board-Arm & Shoulder	1

	Finger Extension Remedial Board	1
	Sand And Water Table	1
	Balls (Basket & Volley Ball)	4
	Theraband	1 set
	Wooden board with 50 holes and 20 rust free galvanized rods	01
	Durable foam-board No. cards and symbols cards	01
	Specially designed beads in 6 colours (in large size and small size)	1 set
	Educational water proof color chart of surroundings. Etc	-
	1 Flash card holder (New Design) 91	01
	Education Pictures card and work card kits (7 water proof pictures cards & foam board matching world card in each kit) like for transport, playtime, round me	1 set.
	Clock face stamps on teakwood base small, medium, large oval	1 set.
	Stamps on vegetables on specially designed colored base	1 set
	Stamps of fruits on special base	1 set.
	Stamps on wild animals on special	1 set.
	Stamps on domestic animals on special base	1 set.
	Stamps on transport on special base	1 set.
	Wooden number strip (1-100) and display folder	10
	Education wooden numbercardsfor numbers (1-100), symbols etc	10
	Day birdie (A puzzlet to learn the days of the week)	01
	Grown plant (to learn parts of the plant and how they grow)	01
	Handprints (to learn Nos. 1-5)	01
	Footprints (to learn Nos. 11-20)	01
	Odd and even duck (to introduce odd and even nos. 1-10)	01
	Lacing kit (3 shapes with eyelets and laces for motor control)	01
	Footsteps (20 shapes with eyelets and laces for motor control)	01
	Festivals a story sequence puzzle (Christmas) Festivals A story sequence puzzle (Diwali), Festival A Story sequence/Puzzle	01 01
	Seasons (round the year) Kit 1.1 colored chart of	

	summer, 1 holders, 15 work cards, kit 2.1 colored chart of winter	
	What we wear - 25 Picture cards of clothes, 25 word cards of clothers, 25 word cards of helping words.	1 set.
	Daily living adaptation kit (Samples of 22 items of daily living adapted to suit the requirements of the mentally challenged	1

## 5. D/o Autism Spectrum Disorder/Intellectual Disabilities

	Equipment's	Quantity
	Wooden Board with 59 holes and 20 rust free galvanized rods	01
	Durable foam-board No. Cards and Symbols Cards	01
	Specially designed beads in 6 colour (In large size and and small size)	1 set
	Educational water proof color chart of surroundings. Etc	-
	1 Flash card holder (new design)	01
	Educational picture card and work card kits (7 water proof picture card & foam board matching world card in each kit) like for transport, playtime, round me	1 set
	Clock face stamps on teakwood base-small, medium, large, oval	1 set
	Stamps on vegetable on specially designed colored base	1 set
	Stamps on fruits on special base	1 set
	Stamps on wild animals on special base	1 set
	Stamps on domestic animals on special base	1 set
	Stamps on transport on special base	1 set
	Wooden number strips (1-100) and display folder	10
	Educational wooden numbercardsfor numbers (1-100), symbols etc.	10
	Day birdie (A puzzeleto learn the days of the week)	01
	Grown plant (to learn parts of the plant and how they grow)	01
	Handprints (to laarn Nos. 1-5)	01
	Footprins (to learn Nos. 11-20)	01
	Odd and even duck (to introduce odd and nos. 1-10)	01
	Lacing Kit (3 shapes with eyelets and laces for moor control)	01
	Footsteps (20 with shapes with eyelets and laces for motor control)	01
	Festivals a story sequence puzzie (Christmas)	01

	Seasons (round the year ) kit 1.1 colored chart of summer, 1 holder, 15 word card, kit 2.1 colored chart of winter, 1 holder, 15 word card, kit 3.1 colored card of rainy season, 1 holder, 15 word card, seasons kit with all 3 season plus holder and 45 word card	1 set
	What we wear	1 set
	Daily living adaptation kit (Samples of 22 items of daily living adapted to suit the requirements of the mentally challenged)	1
	Toys (used for visual, auditory and tactile)	10
	Therapy ball	1
	Bolsters	1
	Balance Board	1
	Corner seat	1
	Modified chairs (Positive and negative)	1
	Flip charts, Vehicles, Numbers, Vegetables, Animals	-
	Word book vegetables, fruits, Numbers, Animals	-
	Manual for preparation of stimulation material rural for infants and toddlers	-
	Dancing Lights	5 set
	Radium Stickers	5
	UV Lights	5 set
	Wall Mounted Colour Light	5
	Flexible serial Tube Lights	2 set
	Stickers	5
	Ball Pool (With Small Plastic Balls)	1
	Tunnel	1
	Vibrator (Body Massager)	5
	Rope Ladder	1
	Balance Beam	1
	Trampoline	1
	Graded Tables with graded stools	1
	Geometric Shapes Crawling Forms	1

	Teaching Learning Material (TLM)-KIT-1	1
	Teaching Learning Material (TLM)-KIT-2	1
	Teaching Learning Material (TLM)-KIT-3	1
	Teaching Learning Material (TLM)-KIT-4	1
	Computer Assisted Instruction (CAI) Package-7	1 set
	CD's-Each CD Rs. 50/-	
	Grade level Assessment Device (GLAD)	1
	Vocation Assessment Device (GLAD)	1
	Functional Assessment checklist for Programing (FACP)	1
	Behavioural Assessment Scale For Indian Children with Mental Retardation (BASIC-MR)	1
	(i) English	
	(ii) Hindi	
	Malin's Intelligence Scale For Indian Children (MISIC)	1
	Developmental Screening Test (BKT)	1
	Vineland Social Maturity Scale (VSMS)	1
	Binet-kamat Test (BKT)	1
	Indian Scale For Assessment of Autism (ISSA)	Available on National Trust Website
	Childhood Autism Rating Scale (CARS)	1

\*\*\*\*\*

*(To be furnished on a Rs.20/- Non-Judicial Stamp Paper)*

**BOND**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT we the.....  
(**name of the Organizations in Registration Certificates**) as association registered under the Societies Registration Act, 1860 having been registered by the office of..... (**Name and full address of Registering Authority**), vide Registration Number ..... dated ..... office in the State of ..... (herein after called the obligor/obligors) are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called the Government) in the sum of Rs. .... (in words Rs. .... only) with interest therein @ 10% per annum well and truly to be paid to the President on demand and without demur, for which payment we bind ourselves and our successors and assigns by these presents.

2. SIGNED this ..... day of ..... in the year two thousand and.....

3. WHEREAS the obligors has sent a request proposal to Government through the Union Ministry of Social Justice & Empowerment for grants of Rs..... (**write the amount of grants-in-aid applied for/estimated budget**) vide his letter number ..... date (**write the no. and date of the forwarding letter of the NGO**), the obligors has agreed to execute this bond in advance, in favour of Union Ministry of Social Justice & Empowerment for entire amount of Rs as requested in the proposal sent to the Government. The obligor is willing to accept the proposed amount or any other amount approved/sanctioned by the Government. The obligor is willingly executing this bond of proposed amount with the stipulation that obligor will be bound upto this amount or by the actual amount approved/sanctioned by the Government, whichever is less. The obligor is also willing to accept all terms and conditions mentioned in the "Letter of Sanction" to be issued by the Government.

4. Now the condition of the above written obligation is such that if the obligors duly fulfil and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, then above written bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise it shall remain in full force and virtue. If a part of the grant is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, the obligors agree to refund the unspent balance along with interest at the rate of 10% (ten percent) per annum unless it is agreed by the sanctioning authority to be carried over to the next financial year. The amount of grant shall be refunded along with interest earned thereon.

5. The Society/Trust agrees and undertakes to surrender/pay to Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive/have received or derived through/upon unauthorized use (such as letting out premises for adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for which the grant was intended) of the property/building or other assets created/acquired/constructed largely from out of Government grant. The decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment or the administrative Head of the Department concerned shall be final and binding on the Society/Trust, in respect of all matter relating to the monetary value mentioned above to be surrendered/paid to the Government.

6. The member of the executive committee of the grantee will

- a. abide by the conditions of the grants-in-aid by the target dates, specified in the letter of sanction;and
- b. not divert the grants or entrust execution of the scheme or work concerned to other institution (s) or organization (s);and
- c. abide by any other conditions specified in the agreement governing the grants-in-aid

In the events of grantee failing to comply with the conditions or committing breach of the conditions of the bonds, the signatories to the bonds shall be jointly and severally liable to refund to the President of India, the whole or a part of the grant with interest @ 10% per annum thereon.

**7. AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT**

- i. The decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment on the question whether there has been breach or violation of any of the terms and conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding on the obligors; and
- ii. The Government shall bear the stamp duty payable on these bonds. The cost can be adjusted from the grants

In witness whereof these presents have been executed as under on behalf of the obligors and day herein above written in pursuance of the Resolution No \*..... dated \* passed by the Governing Body of the obligors, a copy whereof

is annexed hereto as Annexure B.

(\_\_\_\_\_)

Signed for and on behalf of \*\*.....

Signature of the grantee \*\*\*

(Name of the Obligor Association, as registered)

Full Mailing Address: \_\_\_\_\_

Telephone Number/Mobile No: \_\_\_\_\_

E-mail address (if available) \_\_\_\_\_

Fax Number \_\_\_\_\_

(in the presence of) Witness name, address and signature

1.Registration Number of Association \_\_\_\_\_

2.Date of Registration \_\_\_\_\_

Accepted for an on behalf of the President of India

***Designation DateName &***

***Address***

\* No. & date of the Resolution of Management/Executive Committee vide which Organization has authorised the designated person to sign its bond.

\*\* Name of the NGO.

\*\*\* Name and Signature of the Office Bearer authorised by a Resolution of the NGO/Implementing Agency of DDRC to sign such Bond

**Annual (PERFORMANCE) REPORT: PHYSICAL**

Name of the implementing Agency :-

Name of DDRC and Address :

Month of inception:

Total No. of Persons benefited: Upto the : .....

**During the Current year quarter : .....**

**1. Therapeutic services delivered (excluding surgeries performed)**

Category	Up to Last Financial year	During current financial year as on....	Grand Total
Orthopedically handicapped			
Mentally handicapped			
Visually Handicapped			
Hearing Handicapped			
Multiple disabilities			
Total			

**2. ADIP related activities:**

Provision/Fitment of Assistive devices ( in units of devices)	Up to Last Financial year	During current financial year	Grand Total
(a) Wheel Chairs			
(b) Tricycles			
(c) Aids to the hearing handicapped			
(d) Aids to Visually Handicapped			
(e) Any other aids and appliances.			
(f) Surgeries performed.			
(g) Fitment of limbs			
Total			
Any other follow up services ( in units of services)			

**3. Training related activities – No. of persons trained.**

Category	Up to Last Financial year	Total (during current financial year)	Grand Total
Anganwadi worker			
ANM			
Teachers			
Nurses			
Any other			
Total			

**4. Awareness generation ( indicate the number of visits/programmes)**

Category	Up to Last Financial year	During current financial yr)	Grand Total
Preparation and free distribution of written material in local language			
Radio talk			
T.V. coverage through local network			
Publication of articles in print media			
Visits to school and addressing teachers/ principal and students.			
Meeting with parents of disabled children			
Meeting with parent of non disabled children			
Self help Groups			
Others			

**5. Employment/facilities concession:**

Category	Up to Last Financial year	During current financial year)	Grand Total
Self employed			
Employed in Govt./Pvt. Sector.			
Provided disability certificate/ concession			
Admission in regular school			

**6. Broad activities:**

Category	Up to Last Financial year	Total (during current financial year)	Grand Total
No. of village surveyed			
Assessment camps (through camp approach)			

Follow up camps ( through camp approach)			
No. of meetings of the DMT			
Any other – please specify			

**GFR 12 – A**

[(See Rule 238 (1)]

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR ..... in respect  
of recurring/non-recurring  
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

1. Name of the Scheme.....
2. Whether recurring or non-recurring grants.....
3. Grants position at the beginning of the Financial year
  - (i) Cash in Hand/Bank
  - (ii) Unadjusted advances
  - (iii) Total
4. Details of grants received, expenditure incurred and closing balances:(Actuals)

Unspent Balances of Grants received years [figure as at Sl. No. 3 (iii)]	Interest Earned thereon	Interest deposited back to the Government	Grant received during the year			Total Available funds (1+2-3+4)	Expenditure	Closing Balances (5-6)
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			
1	2	3	4			5	6	7
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			

Component wise utilization of grants:

Grant-in-aid– General	Grant-in-aid– Salary	Grant-in-aid–creation of capital assets	Total
-----------------------	----------------------	---	-------

Details of grants position at the end of the year

- (i) Cash in Hand/Bank
- (ii) Unadjusted Advances
- (iii) Total

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

- (i) The main accounts and other subsidiary accounts and registers(including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/accounts.
- (ii) There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc. & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.
- (iii) To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.
- (iv) The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.
- (v) The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.
- (vi) The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.
- (vii) It has been ensured that the physical and financial performance under ..... (name of the scheme) Has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – I duly enclosed.
- (viii)The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications.)
- (ix) Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure –II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date:

Place:

Signature

Name.....

Head of the Organisation

Signature

Name.....

Chief Finance Officer  
(Head of the Finance)

(Strike out inapplicable terms)

PROFORMA FOR INSPECTION OF IMPLEMENTING AGENCY RECEIVING GRANT IN AID FROM THE  
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS (for State  
Government authorities)

For the Year.....

(New Case/On going Case)

**1 Name of Scheme:** .....

**2 Date of Inspection:** ..... **Time :** \_\_\_\_\_

**3**

Name of Inspecting Officer (s)	Designation	Agency represented with address & Telephone No.	Signature with stamp

**4 (i) Name and Complete Postal Address of the :**  
Implementing agency with Pin-code (Registered Office),

Telephone No. (with STD code), Mobile No,  
Fax & email and website address.

(ii) Project Location (DDRC): Complete Address of :  
location where programme/project/Scheme  
is being implemented with Telephone/Email and Fax No.  
PAN/TIN/TAN No. (any one) of IA

(iii) Name with designation of authorized person :  
of the organization along with mobile/Tel. No.

(iv) DMT details along with notification :

(v) Minutes of last DMT meeting held:

**5 (i) Date and period of validity of Registration of :**  
the organization under Societies Registration  
Act/Trust/Section/Company Act

- (ii) Date and period of validity of Registration :  
under Persons with Disability Act 1995.
- (iii) Unique ID on DARPAN Portal of NITI Aayog :

6 Nature of the project :

- a) Date of commencement of the project :
- b) Year of commencement of the Grant in aid :  
for the Project
- c) Whether the Project is recognized by the State :  
Government: Yes/No.

7 Details of accommodation of DDRC

- (i) Whether building is owned by State Government or rented:
- (ii) If on rent, details thereof :
- (iii) Is the building space adequate enough to run the : Yes / No  
project?
- (iv) Built up Area:
- (v) No. of rooms:
- (vi) Will the accommodation be used exclusively for this  
Programme:
- (vii) Whether the building is barrier free

8 (i) Whether principle of joint operation of banks : Yes / No  
Accounts is being followed:

- (ii) Detail of Bank Account- the name of the :  
DDRC in the Bank authorized letter  
(duly attested by the Bank authorities should be  
same mentioned in the sanctioned letter issued  
by this Department

9 What are the principle source of funds of the organizations  
.....  
.....

10 The following checks have been made:-

- 1 Entries of Grants received from the Ministry :
- 2 Deposition of Grants in bank accounts :
- 3 Recording of salary payable and actual :  
payment of salary
- 4 Corroboration of payment of salary with :  
the recipients

5 Direct payment to beneficiaries Viz. Stipend, :  
transport allowance

11 (i) The number of beneficiaries rehabilitated last year :  
(ii) Whether

12 Equipment available with DDRC :

13 Organization Website (URL) :

14 (i) Whether the staff are qualified : Yes / No  
If not the details thereof

(ii) No.of staff appointed by the organization and :  
found present during the inspection

(iii) Payment made to Staff- Cheque/ECS/Cash :

(iv) If payment is made by cash, the reason thereof. :

15 Maintenance of records : Whether the following records are maintained

i) Cash Book : Yes / No

ii) Ledger : Yes / No

iii) Register of Assets : Yes / No

iv) Register for consumable items : Yes / No

v) Honorarium Payment Register : Yes / No

vi) Attendance Register for trainees : Yes / No

vii) Year wise record of minutes of GBM : Yes / No

viii) Payment Register of Stipend to trainees

16 Sign and stamp of the authorized signatory of the organization to certify that the information given  
at points 1-20 above are true.

Signature (with rubber stamp)Full

Name :

Date:

Designation:

Place:

Official Stamp

22 Recommendation of the Inspecting Team/Inspection officer on the continued support of the project with specific  
reference/comments.

Signature (with rubber stamp)Full

Name :

Date:

Designation:

Place:

Official Stamp

Date:

Place:

Counter Signature (with rubber stamp) Full  
Name :

Designation:

Official Stamp